

वर्ष : 22 अंक : 4 (79वाँ अंक) अक्टूबर-दिसंबर, 2017

विचार



‘खाद्य अधिकार’, ‘राइट टू एजुकेशन (आर.टी.ई.)’, ‘एनआरईजीए (नरेगा) ‘सामाजिक सुरक्षा’ पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ‘नागरिक समाज संगठनों’ (सीएसओ) के साथ बजट-पूर्व परामर्श



यूरोपीय संघ



UNNATI

■ संपादकीय	3
■ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ बजट-पूर्व परामर्श	5
■ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः सूचना प्रकटीकरण और सार्वजनिक सेवाएं	14
■ कहाँ हैं हमारे गरीब लोग ?	18
■ हमारे हाथ, हमारा भविष्य, 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' (वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस)	21
■ विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 - एक गंभीर चिंतन	23
■ उच्च न्यायालय का विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूलों का सुझाव	26

संपादकीय

जीओ (सरकारी संस्थान) एवं एनजीओ (गैर-सरकारी संस्थान) सहयोग: सहभागिता और प्रतिवाद के मुद्दे

प्रशासन और लोकतांत्रिक प्रथाओं में नागरिक भागीदारी का एक मजबूत पैरामीटर जीओ - एनजीओ सहयोग है। भारत में वर्षों से, इस सहयोग को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं। वित्त मंत्रालय की प्रथा और परंपरा है कि वह बजट सत्र से पहले सुझाव देने के लिए एनजीओ प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। यह एक स्वस्थ परिपाटी है और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास पैदा करती है। इस साल, 6 दिसंबर को यह परामर्श बैठक बुलाई गई थी। हर सरकार ने लगातार एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को स्वीकार किया है। 2002 में, माननीय प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी ने इस योगदान स्वीकार किया और संस्थागत सुधार के लिए सहमति व्यक्त की थी। जुलाई 2007 में, स्वैच्छिक एजेंसी पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई और उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रीय विकास में एनजीओ की भूमिका का उल्लेख 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज़ में किया गया था। 2008 में दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने एनजीओ की प्रासंगिकता का उल्लेख किया और इसे 'सामाजिक पूंजी: एक साझी तक्रदीर' कहा था। एनजीओ दर्पण पोर्टल का गठन पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा किया गया था, जिसका स्थान 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने ले लिया है। उसने भी यह स्वीकार किया है कि 'एनजीओ सरकार के प्रयासों के जरिए राष्ट्र के विकास में प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं'।

सवाल यह है कि जीओ - एनजीओ सहयोग के संबंध में चिंता क्यों पैदा हुई है। गैर-सरकारी संगठनों की पहचान से संबंधित कई अनसुलझे संरचनात्मक कारण हैं। एनजीओ अपने परिचालन, विषय/काम के विषय, आकार के मामले में भिन्न-भिन्न हैं। इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठनों को मोटे तौर पर इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (i) बहुत छोटे समुदाय आधारित संगठन जैसे महिला मंडल, युवा समूह, स्थानीय खेल और पुस्तकालय गतिविधियां।
- (ii) धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, अन्य धार्मिक संस्थाओं इत्यादि द्वारा प्रोत्साहित संस्थाएं
- (iii) प्राथमिक स्तर से तकनीकी शिक्षा वाले शैक्षणिक संस्थान,
- (iv) 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड' (बीसीआईसीआई) जैसी बहुत बड़ी संस्थाएं और 'भारतीय पोस्ट ट्रस्ट' और कई अस्पताल,
- (v) विकास में लगे एनजीओ, वे भी विभिन्न प्रकार के हैं - रचनात्मक कार्य, क्षमता निर्माण और अनुसंधान, लोक/सामाजिक आंदोलन आदि।

सितंबर 2016 में 'केंद्रीय जांच ब्यूरो' (सीबीआई) ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भारत में लगभग 31 लाख गैर-सरकारी संगठन पंजीकृत हैं, जिनमें से 8-10 प्रतिशत ही अपने खातों को सांविधिक प्राधिकारी के यहां दाखिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा समझा कि गैर-सरकारी संगठनों को 'अनाप-शनाप' धन मिलता है और वे 'गैर-जिम्मेदार' हैं और उनके द्वारा किए गए उपयोगी प्रयोजनों पर सवाल उठाया। यह स्पष्ट नहीं है कि किस श्रेणी के गैर-सरकारी संगठनों पर सवाल उठाया जा रहा है। यह समझने की जरूरत है कि गैर-सरकारी संगठन का निर्माण पंजीकरण से किया जाता है, लेकिन इसके समापन के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। दिसंबर 2016 में जब गृह मंत्रालय ने 20,000 एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया, तो लगभग 200 मामलों में नवीनीकरण के लिए अपील की गई; बाकी ने कोई आपत्ति नहीं की जिससे संकेत मिलता है कि अधिकांश गैर-सरकारी संगठनों ने कामकाज बंद कर दिया है।

अब समय आ गया है कि गैर-सरकारी संगठनों की विभिन्न श्रेणियों और कामकाज के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाकर एनजीओ प्रशासन में

सुधार किए जाएं ताकि सभी प्रकार के गैर-सरकारी संगठनों को एक ही श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सके। इसे एक सलाहकार रूप से बनाया जाना चाहिए। जिस दूसरे बिंदु को स्वीकार करने की आवश्यकता है वह यह है कि जीओ - एनजीओ सहयोग में सरकार के कामों में एनजीओ के समर्थन और सहायक होने के साथ-साथ सरकारी कार्यक्रमों का कार्य नहीं करना, भ्रष्टाचार के मुद्दे, पर्यावरण विनाश, मानव अधिकारों के उल्लंघन, सामाजिक न्याय, आदि पर ध्यान आकर्षित करने को शामिल करना चाहिए। शायद, गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों के प्रकार के आधार पर विविध वैधानिक प्रावधान तैयार करने की जरूरत है - जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार का सहयोग, प्रशिक्षण और अनुसंधान करना, जनहित और सूचना के अधिकार के तहत याचिका दायर करना, सामाजिक न्याय के लिए अभियान और विधायी और नीतिगत सुधार की मांग आदि। गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिवाद को सरकार विरोधी नहीं माना जाए। वर्तमान सरकार को आवाज उठाने के लिए अपने नागरिकों और समूहों को 'आमंत्रित - परामर्शी स्थान' प्रदान करना होगा जिससे लोगों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिवाद कम होगा।

(इस खंड में कुछ बातों को 'इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली', 21 जनवरी, 2017 में छपे 'डॉ. राजेश टंडन' के लेख से लिया गया है।) ■

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ बजट-पूर्व परामर्श

दिसंबर 6, 2017, नई दिल्ली

‘खाद्य अधिकार अभियान’

- कविता श्रीवास्तव

संयोजक, ‘राइट टू फूड कैम्पेन’ (खाद्य अधिकार अभियान),

संचालन समिति(सचिवालय)

8-5 निजामुद्दीन (पश्चिम), नई दिल्ली, फोन: 011-29849563 वेबसाइट: www.righnofoodcampaign.in

हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI 2017) ने एक बार फिर प्रकाश डाला है कि जहां तक भूख और कुपोषण का संबंध है, भारत में सब कुछ अच्छा नहीं है। बच्चों में कुपोषण की व्यापकता में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन समुचित विकास में रोक (स्टंटिंग) और बर्बाद करने का स्तर अभी भी बहुत अधिक है। सुधार की गति बहुत धीमी है।

हमें उम्मीद है कि बजट 2018 पोषण और खाद्य सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देगा और इन वर्षों में बताए गए कई अन्तराल को दूर करेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) को पारित हुए तीन साल से अधिक बीत चुके हैं लेकिन इसे हाल ही में सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। हालांकि, अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। एनएफएसए हकदारी सुनिश्चित करने से लोगों को निश्चित रूप से कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन कई अन्य उपाय भी आवश्यक हैं। एनएफएसए के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए पीडीएस, एमओएमएस, आरसीडीएस और मातृत्व हकों सहित अधिनियम के सभी घटकों के लिए पर्याप्त बजट सहायता की आवश्यकता है।

इसी समय, हम आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि विभिन्न खाद्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार से जोड़ने के आदेश जमीन पर कहर बरपा रहे हैं। योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने के बजाय, आधार के अभाव या आधार वाली बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण (एबीबीए) प्रणाली की विफलता के कारण कुछ कमजोर व्यक्तियों को वास्तव में बाहर रखा जा रहा है। हम आपसे पुरजोर अनुरोध करते हैं कि आप बजट का उपयोग सभी कल्याणकारी योजनाओं से

आधार को हटाने और भारत के लोगों को आश्वस्त करने के अवसर के रूप में करें कि उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा की रक्षा के संबंध में कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

एनएफएसए-पीडीएस

1. यद्यपि एक विकल्प के रूप में एनएफएसए हकदारी में मोटे अनाज (बाजरा आदि) शामिल हैं, लेकिन इसे ज्यादातर स्थानों पर नहीं दिया जा रहा है। बजट में बाजरा की खरीद और पीडीएस के माध्यम से इसके 1 रु. प्रति किलो में वितरण के लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए (जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है)।
2. दालों की बढ़ती कीमतों के कारण, लोगों में इसकी खपत (जो पहले ही कम थी) और कम हो गई है। दालें हमारे देश में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं इसलिए, दालों को सब्सिडी वाले दामों पर पीडीएस में शामिल किया जाना चाहिए।
3. तीन यूटी (पुडुचेरी और चंडीगढ़) में पीडीएस में नकद हस्तांतरण शुरू करने की पायलट पहल के कार्यान्वयन में गंभीर समस्याएं दिख रही हैं। इस अनुभव के आधार पर, सरकार को एक विराम लेना चाहिए और डीबीटी पर अनावश्यक ध्यान देने की बजाय पीडीएस को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए।

एनएफएसए-मातृत्व हकदारी (पात्रता)

1. एनएफएसए सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक मातृत्व हकदारी प्रदान करती है। हालांकि, प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) ने केवल एक जीवित जन्म के लिए कवरेज सीमित कर दिया है और वह भी केवल 5000 रुपये। यहां तक कि इस योजना को अभी भी जमीन पर लागू किया

जाना बाकी है। हर दिन की देरी से हजारों महिलाओं और बच्चों को उनकी हकदारी से वंचित किया जा रहा है।

2. अगर मातृत्व हकदारी योजना को जनता के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाना है तो उसे सार्वभौमिक और बेशर्त बनाया जाना चाहिए। उम्र, बच्चों की संख्या और अन्य शर्तों के प्रतिबंध से, वंचित पृष्ठभूमि वाली अधिकाधिक महिलाएं इस योजना से बाहर रह जाएंगी।
3. सार्वभौमिक मातृत्व हकदारी योजना में विकलांग गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक सहायता और सहायता के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना

1. आईसीडीएस के सार्वभौमिकीकरण की यह आवश्यकता है कि शहरी झुग्गी, आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में आँगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो।
2. पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों को हाल ही में छह साल से अधिक समय के बाद संशोधित किया गया है। इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त बजट आवंटन करना चाहिए। इसके अलावा, वर्तमान बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, लागत मानदंडों को वर्ष में कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए।
3. इसके अलावा, इन सभी इकाई लागतों की मुद्रास्फीति-सूचकांक के सिद्धांत को नियमित रूप से बजट में लागू किया जाना चाहिए।
4. आईसीडीएस सुधारों के लिए बजट प्रावधान किए जाने चाहिए, दूसरे कार्यकर्ता के लिए लागत, पुनर्निर्धारित आरसीडीएस के तहत प्रस्तावित कम से कम 5 प्रतिशत एडब्ल्यूसी को विस्तारित समय के साथ शिशु गृहों में परिवर्तित किया जा रहा है।
5. महिलाओं के समूहों के लिए बजट सहायता प्रदान करें और स्थानीय/विकेन्द्रित खरीद और आईसीडीएस में पूरक पोषण के प्रावधान के लिए उत्पादन के लिए दिशानिर्देश जारी करें।
6. आईसीडीएस कार्यकर्ताओं को विकलांगता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बजट प्रावधान करें।
7. एडब्ल्यूसी के नवीकरण के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए जाने चाहिए। एनएफएस की धारा 5 (2) के अनुसार 'प्रत्येक-आंगनवाड़ी में भोजन, पीने के पानी और स्वच्छता सुविधाएं होंगी'। अधिकांश एडब्ल्यूसी में ये सुविधाएं नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए एकबारगी बजट प्रावधान होना चाहिए और नियमित आपूर्ति और रखरखाव के लिए नियमित प्रावधान

करना चाहिए।

8. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि नई घोषित राष्ट्रीय पोषण मिशन के बजट प्रभाव क्या हैं। इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को काम करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है जिन्हें बजट प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया जाना है।

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस)

1. आईसीडीएस के मामले में, खाद्य मुद्रास्फीति की वास्तविक दर को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त धनराशि को एमडीएमएस में आवंटित किया जाना चाहिए।
2. एमडीएमएस के लिए लागत मानदंडों को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि पौष्टिक वस्तुओं जैसे अंडे, फलों आदि को भोजन में शामिल किया जा सके, साथ ही रसोइयों के भुगतान के लिए बेहतर प्रावधान किया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा पेन्शन

1. एनएफएस की धारा 31 के अनुसार 'केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को खाद्य और पोषण सुरक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिए, अनुसूची-III में निर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर रूप से प्राप्त करने का प्रयास करना होगा'। सरकार को इस पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पहले पहले, पेंशन से संबंधित प्रावधानों के लिए पर्याप्त पेंशन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017-18 से बजट प्रावधान करना शुरू कर दिया गया है।
2. एनएफएस धारा 3 (2) (डी) में अनुसूची-III में अन्य बातों के साथ, यह बताता है कि खाद्य सुरक्षा के हिस्से के रूप में 'वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन' का प्रावधान किया जाएगा। एक बजट प्रावधान के साथ शुरू करने की आवश्यकता है जो न्यूनतम मजदूरी और लागत सूचकांक से जुड़ी पेंशन को सुनिश्चित करता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही

1. एनएफएस में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रावधानों के संचालन के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान होना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:
 - ए. सामाजिक ऑडिट
 - बी. राज्य खाद्य आयोग की स्थापना, जीआर अधिकारी के प्रशिक्षण, जीआर प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संसाधन सहित शिकायत निवारण

सी. अभिलेखों की डिजिटल पारदर्शिता
डी. सतर्कता समितियां

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सहयोग देने के लिए हस्तक्षेप (कार्यक्रम)

1. महिला किसानों को लक्षित निर्वाह भोजन-उत्पादक किसानों के लिए मजदूरों के खर्च और निवेश लागतों में खर्च के लिए बजट सहायता।
2. छोटे और सीमांत किसानों, पट्टेदारों के कवरेज और किसान क्रेडिट कार्ड के बंटवारे के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
3. सामाजिक सुरक्षा के लिए महिला किसानों और कृषि मजदूरी,

नमक क्यारियों में काम करने वालों, विकलांग किसानों जैसे वंचित समूहों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और कृषि सहायता तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।

4. दालों और तिलहनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी।
5. पीडीएस में स्थानीय स्तर पर उत्पादित दालों और खाद्य तेलों को उपलब्ध कराया जाए।
6. दालों और खाद्य तेलों की फसलों के उत्पादन, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाकर इनके आयात-निर्भर नहीं रहने के उपायों को शुरू किया जाए।

‘राइट टू एजुकेशन (आर.टी.ई.)’ फोरम

- अम्बरीश राय

53, संघ रचना, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली 110 003. मोबोइल नं. 8800315595

आरटीई के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलू

भारत लंबे समय से शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कोठारी आयोग की सिफारिश थी, जो यूपीए और बीजेपी दोनों के चुनाव घोषणापत्रों में शामिल था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ईएफए प्रतिबद्धताओं का हिस्सा था। हालांकि, भारत लगातार कम खर्च कर रहा है। दरअसल, भारत द्वारा शिक्षा पर वैश्विक औसत से नीचे (जीडीपी का 4.7 प्रतिशत, 2013) खर्च करना जारी है। राज्यों को वित्त के हस्तांतरण के बावजूद शिक्षा के आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। यह हमारा अनुभव है कि राज्य आवंटन की इस वृद्धि ने इस अंतराल को पूरा नहीं किया है।

1. आरटीई के कार्यान्वयन में निवेश गुणवत्ता और सीखने में निवेश है

वर्तमान सरकार शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और छात्रों के सीखने के कम स्तर के बारे में चिंतित है। वास्तव में भारत के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता चिंता का एक कारण है। यह भारत द्वारा अपने जनसांख्यिकीय विभाजन का फायदा उठाने के लिए बंद खिड़की को देखते हुए स्पष्ट जोखिम बना हुआ है। अब गुणवत्ता युक्त शिक्षा में तत्काल निवेश की आवश्यकता है। यह हमारा निवेदन है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में पहला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत के सभी स्कूल बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित मानकों का पालन करें।

जब यह लागू किया गया था, तब अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई वित्तीय ज्ञापन संलग्न नहीं था। कई अवसरों पर, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवंटित किए जाने वाले धन की राशि निर्धारित करने के लिए गणना की गई थी। हालांकि, वास्तव में आवंटित धन हमेशा आवश्यक राशि से कम ही रहा। वर्तमान अनुमान बताते हैं (एस. बोस, पी. घोष, एंव ए. सरदाना, 2017) कि आरटीई कार्यान्वयन पर खर्च प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी संसाधनों से काफी कम है। इस प्रकार, प्रति छात्र सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता के मुकाबले, बिहार में वास्तविक व्यय केवल 31 प्रतिशत है। इसी तरह, झारखंड और उड़ीसा में वास्तविक खर्च उनकी आवश्यकताओं का 44 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में यह आधे से थोड़ा अधिक (52 प्रतिशत) है।

यह अंतर भारत के सबसे अधिक आबादी वाले, गरीब और विकास के मामलों में पिछड़े राज्यों में विशेष रूप से अधिक है। इसलिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त निवेश यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा गुणवत्ता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इन अंतराल को पूरा करने के लिए एक रोडमैप या निश्चित समय सीमा वाली कार्य योजना की आवश्यकता है। इसलिए, यह महसूस किया जाता है कि सरकार को एक समय सीमा की घोषणा करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्तमान संसाधन अंतराल को दूर करना चाहिए।

पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

आरटीई अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के प्रारंभ से छः महीने के भीतर, उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात हो और स्कूल के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके नियंत्रण वाले स्कूल में शिक्षक की रिक्ति अपनी कुल स्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरटीई कानून लागू होने के सात साल बाद भी, सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की रिक्ति 17.51 प्रतिशत है, और माध्यमिक स्तर पर यह 14.78 प्रतिशत है। लगभग 10 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक-एक शिक्षक ही हैं। भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में अभी भी 10 लाख से अधिक संविदा शिक्षक हैं। उनकी सेवा शर्तों, योग्यताएं और वेतन काफी भिन्न होते हैं। आरटीई कानून के अनुसार इन स्कूलों में शिक्षकों की निर्धारित संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। संघ और राज्य सरकारों दोनों को अपना बजट आवंटन तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक हर स्कूल शिक्षक-छात्र अनुपात मानदंड प्राप्त नहीं कर ले।

हालांकि, योग्य शिक्षकों की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित मुद्दों को हल किए बिना इन अंतर को भरना संभव नहीं होगा। अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिए आरटीई अधिनियम को हाल ही में संशोधन किया गया है ताकि आरटीई कानून के अनुसार सभी शिक्षक न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर सकें। इसके कारण शिक्षक प्रशिक्षण में मौजूदा अंतराल (सेवा और पूर्व-सेवा दोनों) को दूर करने और शिक्षकों को ऑनसाइट सहयोग प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयों में मौजूदा शिक्षकों में से लगभग 20 प्रतिशत अप्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों का अनुपात 2010 से लगभग स्थिर रहा है (एमएचआरडी, 2014)। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पेशेवर प्रशिक्षित शिक्षक का हिस्सा बिहार में 52.2 प्रतिशत से लेकर महाराष्ट्र में 99 प्रतिशत (डीआईएसई, 2015-16) तक है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के बावजूद, अधिकांश सरकारों द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खर्च की उपेक्षा की जा रही है। संस्थागत क्षमता निर्माण में मजबूत निवेश की स्थिति और भी विकट है। शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास संस्थानों के रूप में गठित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) अपनी भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। अध्ययनों से पता चला है कि 17 प्रतिशत डीआईईटी के पास अपनी इमारत नहीं है, 40 प्रतिशत के पास

अपनी छात्रावास सुविधा नहीं है, जबकि 70 प्रतिशत के पास लाइब्रेरियन नहीं है। कुछ राज्यों में संकाय पदों में 80 प्रतिशत रिक्तियां भी हैं। अधिकांश डीआईईटी अलग-थलग स्थानों में स्थित हैं। स्टाफ और संकाय सदस्य पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवाचार की कमी है, और संकाय ने पिछले 5 सालों में क्षमता निर्माण के किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि 90 प्रतिशत सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम गैर-सरकारी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। संघ और राज्य दोनों सरकारों को अपने प्रशिक्षण केंद्रों की संस्थागत क्षमता में सुधार के लिए विशेष रूप से भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

बुनियादी ढाँचे के अंतराल को दूर करना

बुनियादी ढाँचे के अंतराल को दूर करने के लिए, आरटीई कानून ने तीन साल के भीतर, अर्थात्, 31 मार्च 2013 तक, विद्यालय के बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिए प्रावधान किया था, फिर भी यह स्थापित नहीं किया गया है। आरटीई नियमों के पूरे सेट का पालन करने वाले स्कूलों की संख्या ने कभी भी 10 प्रतिशत की संख्या को पार नहीं किया; वास्तव में, आरटीई फोरम के नवीनतम अनुमान बताते हैं कि इस संख्या में गिरावट आई है। समग्र अवसंरचनात्मक उपलब्धता दर 76.33 प्रतिशत है। इसने बच्चों को विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गों की लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया है। लड़कियों के लिए शिक्षा पर बढ़ते बजट के बावजूद वे अभी भी स्कूल से बाहर हैं क्योंकि वे स्कूलों में सुरक्षित और सहज महसूस नहीं करती हैं। आरटीई के सात साल बाद भी लड़कियों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध नहीं है। 2016-2017 में संशोधित अनुमान सिर्फ 43 करोड़ रुपए था, जो 2017-2018 में दोगुना करने पर भी पर्याप्त नहीं रहा। आरटीई के कार्यान्वयन के सीएजी ऑडिट ने 12 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में पाठ्यपुस्तकों, यूनिफॉर्म, कंप्यूटर आदि की अनियमित खरीद के मामले दर्ज किए। पाठ्यपुस्तकों के वितरण में विलंब विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालता है और अंततः बच्चों को सिस्टम से हटा दिया जाता है।

स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों की पहचान

आरटीई के कार्यान्वयन की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि 21 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा जन्म से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के रिकॉर्ड रखने / अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से घरेलू सर्वेक्षण नहीं किए गए। इस

तरह के सर्वेक्षण करने के लिए उचित आवंटन किया जाना चाहिए और उपयुक्त स्कूलों के बाहर रहे बच्चों की पहचान के लिए सभी बच्चों को विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है।

2. आरटीई अनुपालन के ऑडिट पर सीएजी सिफारिशों का अनुपालन करना

सीएजी ने सशक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी, डेटा और वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता की पहचान की है। इन प्रणालीगत सिफारिशों को लागू करने और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें लेखापरीक्षा तंत्र को मजबूत करना, डेटा सिस्टम में अंतराल को दूर करना और निगरानी तंत्र को सक्रिय करना शामिल है।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी) गठित की जाएं, सभी एसएमसी द्वारा स्कूल विकास योजनाएं तैयार की जाएं और योजना के प्रबंधन और निगरानी में सुधार के लिए निर्धारित संख्या में एसएमसी की बैठकें की जाएं। इससे एसएमसी की क्षमता निर्माण और कामकाज के निवेश में बढ़ोतरी होगी। निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है और ब्लॉक संसाधन केंद्र और क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। इस संबंध में बजट आवंटन की आवश्यकता होगी।

ज्यादातर राज्यों द्वारा एक बड़ी चिंता व्यक्त की जाती है कि हर साल एसएसए फंड का वितरण समय पर नहीं होता है। इसके बजाय, खर्च पूरे साल में समान रूप से वितरित किया जाए, आखरी दो तिमाहियों में 'धनराशि की रेल-पेल' होती है। राज्य स्तर पर धनराशि प्राप्ति में विलंब से जिला स्तर पर और बाद में स्कूल स्तर तक धनराशि जारी करने में देरी होती है। यह एसएसए के तहत खर्च की गुणवत्ता के बारे में प्रश्न उठाता है। हालांकि, हर वित्तीय तिमाही में फंड प्रवाह में देरी के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करती है।

3. खर्च में औचित्य

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिल छात्रों की शिक्षा के लिए प्रति छात्र खर्च का अखिल भारतीय औसत 13,974 रु. प्रति वर्ष है, वहीं सबसे अधिक यूनिट लागत खर्च 67,041 रु. गोवा राज्य में है और न्यूनतम खर्च उत्तर प्रदेश राज्य में 7,613 रु. प्रति वर्ष है (सीबीजीए, 2016)। हालांकि, सभी राज्यों में प्रति

छात्र खर्च प्रति बच्चे पर खर्च से अधिक है। गोवा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में प्रति बच्चे पर खर्च के बीच काफी भिन्नता है। यह इंगित करता है कि 6-7 वर्ष की आयु की कुल संख्या और विद्यालय में दाखिल बच्चों की कुल संख्या के बीच में अंतर है। हालांकि, ये वे राज्य हैं जहां विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, जिसका मतलब है कि इन राज्यों में बच्चों को निजी स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय विद्यालय जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 'आदर्श' स्कूलों के रूप में माना जाता है, उनके छात्र के लिए प्रति बच्चा 32,263 रुपये खर्च होता है। अगर केन्द्रीय विद्यालय की यूनिट लागत को बेंचमार्क माना जाए, तो यह स्पष्ट रूप से सभी राज्यों में स्कूली शिक्षा में कम वित्तपोषण को इंगित करता है।

4. माध्यमिक शिक्षा और 18 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में बजट आवंटन में बढ़ोतरी की जरूरत

माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्रणाली के बीच एक अनिवार्य लिंक प्रदान करती है। हालांकि, पिछले लगभग पांच साल से, सरकार के दोनों स्तरों की सरकारों ने नीति विकास और प्राथमिक शिक्षा में वित्तीय निवेश को प्राथमिकता दी थी। प्राथमिक स्तर पर नामांकन की बढ़ती दर के कारण, नए छात्रों को समाविष्ट करने के लिए माध्यमिक स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि, जहां प्राथमिक शिक्षा ने लगभग-सार्वभौमिक नामांकन देखा है, वहीं केवल 62 प्रतिशत (15-18) आयु वर्ग के बच्चों को माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-XII) (2013-14) में नामांकित किया गया है। ये राष्ट्रीय औसत राज्यों, लिंग, सामाजिक समूहों, धार्मिक और निवास स्थान के नामांकन में काफी भिन्नता को छुपाते हैं।

शिक्षा के सतत महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता और समता में सुधार के लिए 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) पेश किया था। इसके अलावा, 2016-17 से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएसएस) के पुनर्गठन पर नीति आयोग-उप समूह की सिफारिशों का पालन करते हुए, केंद्र सरकार ने सभी सामान्य राज्यों के लिए आरएमएसए में अपना मौजूदा हिस्सा 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। यदि राज्य आरएमएसए में पर्याप्त रूप से आवंटित नहीं करेंगे, तो माध्यमिक शिक्षा एक गंभीर चिंता का विषय होगा। इसलिए, समय की मांग है कि माध्यमिक स्तर पर संसाधन आवंटन में वृद्धि की जाए। एक मौलिक अधिकार के रूप में माध्यमिक शिक्षा को

पहचानने की आवश्यकता है और इस प्रकार 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित हो पाएगा।

5. एसएसए की वित्तीय पारदर्शिता में सुधार

बजट आवंटन और उपयोग बढ़ाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बेहतर करना चाहिए। समय के साथ, संघ सरकार स्कूल शिक्षा के लिए अपने बजट आवंटन को कम कर रही है। आरटीई के कार्यान्वयन के लिए मुख्य साधन माना जाने वाला एसएसए बजट में कमी का गवाह है। 2014-15 (बीई) में, आवंटन 28,258 करोड़ रु. तक पहुंच गया था, जो 2017-18 (बीई) में घटकर 23,500 करोड़ रुपये रह गया, जो 17 प्रतिशत कम है। न केवल लगातार

बजट आवंटन कम होता जा रहा है, बल्कि एमएचआरडी भी अपना वादा पूरा करने में लगातार विफल रहा है जो राज्यों को एसएसए के लिए निर्धारित हिस्सा प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कुल स्वीकृत परिव्यय के एसएसए (65:35) के लिए तत्कालीन मौजूदा संसाधन विभाजन पद्धति के अनुसार, केंद्र सरकार (एमएचआरडी) 65 प्रतिशत हिस्सेदारी, अर्थात्, कुल निधि के 5214 करोड़ रुपये के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, लेखा परीक्षित व्यय से पता चलता है कि 2015-16 में, एमएचआरडीने केवल 2437 करोड़ रु. जारी किए थे, जो एमएचआरडी द्वारा अनुमोदित परिव्यय का केवल 47 प्रतिशत था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हर स्तर पर, योजना से लेकर बजट आवंटन से जारी करने तक, हर जगह संसाधन अंतराल है।

‘एनआरईजीए (नरेगा) संघर्ष मोर्चा’

- अंकिता अग्रवाल (9504091005), अनुराधा तलवार (9433002064), अरुंधती धुरू (9919664444), गंगाराम पैकारा (9977462084), कामायनी स्वामी (9771950248), मुकेश निर्वासत (9468862200), नीता हार्डीकर (9825412387), रिचा सिंह (9452232663)
इमेल: nrega.sangharsh.morcha@gmail.com

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के श्रमिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाला राष्ट्रीय मंच, नरेगा संघर्ष मोर्चा रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लगातार अपर्याप्त धन आवंटन से काफी परेशान है। 2018-19 के लिए नरेगा बजट नीचे वर्णित मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि वित्त वर्ष की शुरुआत में नरेगा के लिए आवंटित बजट को ऊपरी सीमा (कैप) नहीं माना जाए। आरंभिक आवंटन के बाद आवश्यक होने पर अतिरिक्त बजट प्रदान करना चाहिए।

राज्य सरकारों द्वारा पेश किए गए पूरे श्रम बजट को मंजूरी

मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा पेश किए गए श्रम बजट के केवल एक हिस्से को मनमाने ढंग से मंजूरी दे रहा है। उदाहरण के लिए, मंत्रालय ने 2017-18 के लिए राज्यों द्वारा पेश अनुमानित श्रम बजट का केवल 75 प्रतिशत अनुमोदित किया था। पिछले वर्ष के लिए, यह अनुपात केवल 70 प्रतिशत था। राज्यों द्वारा अनुमानित श्रम बजट नरेगा मांग अनुमान नीचे से ऊपर की प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता है। इन सभी अनुमानों को पूरी तरह से अनुमोदित नहीं करना अधिनियम की भावना के खिलाफ है।

नरेगा मजदूरी दर को प्रति दिन 600 रुपये तक बढ़ाना

केंद्र सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को

स्वीकार किया है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये होना चाहिए। यह मानते हुए कि मजदूर एक महीने में 26 दिन काम करते हैं, यह 692 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी के बराबर होता है। आयोग ने पाया है कि यह न्यूनतम राशि है जो कर्मचारी को अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसलिए यह अन्यायपूर्ण और असंगत है कि नरेगा श्रमिकों को सम्मानित जीवन के लिए जरूरी न्यूनतम राशि का एक तिहाई ही दिया जाता है। इसलिए नरेगा मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये कर देना चाहिए।

धन के हस्तांतरण में देरी नहीं

नरेगा फंड में लगातार कमी के कारण, मंत्रालय राज्यों को फंड जारी करने में देरी करता है। इसकी वजह से मजदूरी भुगतान में देरी होती है, जिससे नरेगा श्रमिकों को भारी कठिनाई होती है और यह रोजगार गारंटी योजना में आगे काम करने से उन्हें हतोत्साहित भी करता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बिना किसी देरी के मंत्रालय द्वारा नरेगा फंड जारी किया जाए।

मजदूरी में पूरे विलंब के लिए मुआवजा

वर्तमान में, नरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली केवल दूसरे हस्ताक्षरी द्वारा निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) पर हस्ताक्षर किए जाने की वजह से देरी के लिए मुआवजे की गणना करता है। इसे वित्त मंत्रालय के

व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यालय के ज्ञापन में स्वीकार किया गया है। इस दस्तावेज़ के अनुसार, बेहिसाब विलंब के मुख्य कारण हैं 'ढांचागत बाधाएं, धन की (अन) उपलब्धता और प्रशासनिक अनुपालन की कमी'। अप्रैल-सितंबर, 2017 में 10 राज्यों में किए गए 40 मिलियन से अधिक वेतन भुगतान लेनदेन पर आधारित स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन में पाया गया कि मजदूरी भुगतान में करीब 86 प्रतिशत देरी दूसरे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एफटीओ पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद होती है। हालांकि, इस विलंब को गिना तक नहीं जाता, और इसलिए असुविधाजनक रहता है। यह मजदूरों को समय पर भुगतान और मजदूरी भुगतान में देरी के लिए मुआवजे के अधिकार का घोर उल्लंघन है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरी में पूरी देरी के लिए श्रमिकों को मुआवजा दिया जाए, मंत्रालय को वेतन भुगतान विलंब की गणना करने की अपनी विधि को ठीक करना चाहिए।

देय मुआवजे की पूरी राशि का स्वतः भुगतान

वर्तमान में, ब्लॉक-स्तर के नरेगा अधिकारियों को मजदूरी में देरी के लिए मुआवजे की स्वतः गणना को 'अस्वीकार' का विवेक अधिकार

दिया गया है। यह एक अन्यायपूर्ण विवेक अधिकार है क्योंकि अधिनियम मजदूरों को भुगतान में देरी के लिए बिना शर्त मुआवजे का हक देता है। मंत्रालय को ब्लॉक-स्तरीय नरेगा अधिकारियों को दिए गए इस अधिकार को वापस लेना चाहिए और श्रमिकों को पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान करना चाहिए।

मुआवजे की दर में 0.5 प्रतिशत तक की वृद्धि

देरी से भुगतान के लिए मुआवजे की वर्तमान दर देरी वाली मजदूरी का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन है। मजदूरी भुगतान में देरी के कारण कठिनाइयों के लिए श्रमिकों की भरपाई करने के लिए यह दर काफी कम है। इस दर को कम से कम 0.05 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे मुआवजे की राशि मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार मजदूरों को मिलने वाली राशि के करीब हो जाए।

वर्ष में 240 दिनों तक काम की गारंटी में वृद्धि

औपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता वर्ष में 240 दिनों के लिए नियोजित होते हैं। नरेगा कार्यकर्ताओं के लिए काम की गारंटी को इस मानक के बराबर करने की आवश्यकता है।

'स्वाश्रयी महिला एसोसिएशन (सेवा)' की सामाजिक सुरक्षा की सिफारिशें

- मीराई चटर्जी

निदेशक, सेवा सोशल सिक्योरिटी

भारत में 93 प्रतिशत से अधिक भारतीय कार्यबल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत है। भले ही वे गरीब हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से बेहद सक्रिय हैं, और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं। अनौपचारिक श्रमिकों में महिला श्रमिक विशेष रूप से कमजोर समूह हैं। यह अब सर्व विदित है कि अनौपचारिकता, गरीबी और लिंग के बीच परस्पर व्याप्ति है। स्वाश्रयी महिला एसोसिएशन, सेवा पूर्ण रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए अनौपचारिक महिला श्रमिकों को अपने स्वयं की सदस्यता आधारित संगठनों में संगठित कर रही है। पूर्ण रोजगार में काम और आय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। सेवा के अनुभव में सामाजिक सुरक्षा में कम से कम स्वास्थ्य देखभाल, बाल देखभाल, बीमा, बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय और पेंशन शामिल होना चाहिए। नीचे दी गई अनुशंसाएं, सेवा के चार दशकों के अनुभवों पर आधारित हैं, जिसमें महिलाओं को गरीबी से उबरने में और आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ने में सहयोग किया जा रहा है - दोनों उनकी आर्थिक गतिविधियों की वित्तीय व्यवहार्यता, और निर्णय

लेने और अपने स्वयं के नियंत्रण, विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक संगठन के मामले में।

1. सार्वभौमिक स्वास्थ्य आश्वासन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में जीडीपी का कम से कम 2 प्रतिशत निवेश बढ़ाएं

हम सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का और सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस (यूएचए) के लिए प्रतिबद्धता स्वागत करते हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए, हम प्राथमिकता पर निम्नलिखित में निवेश में वृद्धि का सुझाव देते हैं:

- विकेंद्रीकृत नर्सिंग और आशा स्कूलों के माध्यम से मानव संसाधनों में निवेश करके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य से परे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं विकसित करना, मानसिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) टीबी जैसे संचारी रोग के लिए शीघ्र जांच और जांच शामिल है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार दवाएं और निदान पूरी तरह से उपलब्ध होना चाहिए।

- निवारक केंद्रित स्वास्थ्य अभियान, विकेन्द्रीकृत रूप से स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के तरीके विकसित करने, अन्य निवारक और प्रोत्साहन गतिविधियों में आर्थिक और व्यापार नीतियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य संवर्धन ट्रस्ट की स्थापना की जाए। राज्यों में स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार, इन पहलों को मुख्य रूप से विकेन्द्रीकृत तरीके से शुरू करना चाहिए।

2. हमारे बच्चों में निवेश करें और समग्र पोषण विकास के माध्यम से उनके पोषण में सुधार करें

हमारे बच्चों के जीवन की अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए बचपन की शिक्षा और विकास के लिए सेवाओं और सुविधाओं में अधिक से अधिक निवेश आवश्यक हैं। हमारा अनुमान है कि 1 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की आवश्यकता होगी।

इससे हमारे बच्चों में बेहतर पोषण स्तर और कुपोषण में कमी सुनिश्चित होगी। विशेष रूप से, शिशुओं और दो साल से कम उम्र के बच्चों पर फोकस होना चाहिए, जो सबसे कमजोर आयु समूह है। हम राष्ट्रीय पोषण मिशन के माध्यम से सरकार के एकीकृत और व्यापक दृष्टिकोण वाले प्रयासों का पूर्ण समर्थन करते हैं। इसके तहत, पूरे दिन की देखभाल जरूरी है, ताकि गरीब, काम करने वाली माताएं आईसीडीएस केंद्र में अपने बच्चों को सुरक्षित हाथों में छोड़ सकें और वे उनके पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और पूर्व-विद्यालयी शिक्षा जैसे अन्य विकास संबंधी आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त रहेंगी। सेवा के हालिया अध्ययनों ने दर्शाया है कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल ने महिला की आय को दोगुना किया है, जिससे उन्हें परिवार के लिए अधिक भोजन लाने में मदद मिल रही है। यह महिला श्रमशक्ति की भागीदारी भी बढ़ाता है, जो वर्तमान में हमारे देश में कम है।

इस पूर्ण दिवस शिशु देखभाल दृष्टिकोण को देश भर में सिविल सोसाइटी और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों द्वारा जांचा और परखा गया है, और कुपोषण से निपटने के लिए सबसे प्रभावी और कम लागत वाला मॉडल पाया है। यह शारीरिक विकास की निगरानी के साथ अच्छे पोषण, स्वास्थ्य जांच, पूर्व-स्कूली शिक्षा और बाद में, प्राथमिक विद्यालयों में छोटे बच्चों के प्रवेश की गति में एक अच्छा चक्र चलाता है। इसके अलावा, यह बड़े सहोदर बच्चों, विशेष रूप से लड़की को बाल देखभाल की जिम्मेदारियों से मुक्त करता है और

उन्हें स्कूल जाने को प्रोत्साहित करता है।

प्रारंभ में, सरकार आईसीडीएस की अवधि को 200 जिलों और देश के सबसे कमजोर ब्लॉकों में माता-पिता के कामकाज के समय के अनुरूप बढ़ा सकती है, और इसे 3 वर्षों के भीतर सभी जिलों में विस्तारित करने की योजना बना सकती है।

इसका मतलब भोजन के लिए अतिरिक्त आउटलेट, केंद्र के लिए स्थान, उपकरण और एक अतिरिक्त आईसीडीएस कार्यकर्ता या मौजूदा सहायक का उन्नयन करना होगा।

30-35 छोटे बच्चों (0-6 साल) के साथ प्रति घंटे की औसत लागत प्रति माह: 25,000 रुपये प्रति माह या लगभग 3,00,000 रुपये प्रति वर्ष (प्रति केंद्र)।

3. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में निवेश

कामकाजी गरीब और विशेषकर महिलाओं की विशाल संख्या अभी भी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य बीमा, जीवन और विकलांगता बीमा, पेंशन और मातृत्व लाभ से वंचित है। सरकार ने सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक रक्षा की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से शुरू किया है। अब न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कवरेज को विस्तारित करने और एक पोर्टेबल स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सभी अनौपचारिक श्रमिकों को एक जगह से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, जिसमें पहले अनौपचारिक महिला श्रमिकों पर केंद्रित किया जा सकता है, जो सबसे कमजोर कर्मचारी हैं।

न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज में वर्तमान में दिए जा रहे जीवन और दुर्घटना बीमा के अलावा निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- सभी परिवार के सदस्यों के सभी कैशलेस कवरेज के लिए 50,000 रुपये तक की लागत से कुछ राज्य बीमा कार्यक्रमों की तर्ज पर उच्च लागत, कम आवृत्ति वाली बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा का विस्तार। यह प्रारंभिक पहचान और जांच के लिए संवर्धित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जीवन बचाने के लिए, अस्पताल में भर्ती करने और स्वास्थ्य व्यय के कारण ऋण और वित्तीय रूप बर्बाद होने से बचाने के लिए।
- सभी जन्मों के लिए मातृत्व लाभ (6 महीने के लिए 1000 रुपए

प्रति माह या खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार कुल 6000 रुपए) मिलना चाहिए, और वर्तमान में प्रचलित वैसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

काफी वित्तीय परिव्यय को ध्यान में रखते हुए, हम सुझाव देते हैं कि महिला श्रमिकों को पहले चरण-वार कवर किया जाए, जिसमें उच्च प्राथमिकता वाले जिलों और सबसे गरीब और सबसे कमजोर ब्लॉक पर प्रारंभिक ध्यान दिया जाए। पांच साल की अवधि में, 200 मिलियन महिला श्रमिकों को एक ही स्थान के माध्यम से इस न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज में कवर किया जाएगा।

4. गरीबों तक अपनी आउटरीच का विस्तार करने के लिए माइक्रो-इन्श्योरेंस संगठनों को सक्षम बनाना

सरकार द्वारा हमारे लाखों नागरिकों को बीमा कवरेज देने के बावजूद, अभी भी कई लोग बीमाविहीन हैं और इस प्रकार वे सभी प्रकार के जोखिमों के अधीन हैं। कई संगठन जीवन बीमा और गैर-जीवन कवरेज दोनों में माइक्रो-इन्श्योरेंस के प्रावधान के माध्यम से अंतराल भर रहे हैं। इन गैर-सरकारी प्रयासों ने जमीनी स्तर पर बीमा की जरूरतों के बारे में काफी अनुभव हासिल किया है। हालांकि, हमारे मौजूदा बीमा नियमों के कारण, वे बीमा कंपनियों के रूप में काम नहीं कर सकते। इसके बजाय, ऐसी संस्थाएं, जिनमें वीमोसेवा सहकारिता शामिल हैं, गरीबों की सेवा जारी रखते हैं, लेकिन ये जमीनी स्तर पर बीमा कंपनियों और लोगों के मध्य बिचौलियों के रूप में ही हैं। यह वृद्धि को सीमित करता है और सीमा बढ़ती जाती है क्योंकि एजेंटों को प्रदान किया जा रहा मार्जिन कम से कमतर होता जा रहा है, जिससे यह हमारे लिए अव्यावहारिक होता जा रहा है। इसके अलावा, ये उत्पाद अक्सर कम आय वाले सेगमेंट के अनुरूप नहीं होते। पूर्ण बीमा कंपनियों के रूप में, हम इन मुद्दों को हल करने में सक्षम होंगे और सरकार के साथ मिलकर गरीबों तक माइक्रो-इन्श्योरेंस पहुंचाएंगे।

इन मुद्दों को सरकार को और माननीय सांसद, चंदन मित्रा की अध्यक्षता वाली संसदीय बीमा समिति के समक्ष भी कई बार प्रस्तुत किया गया है। हमारे अनुभवों और सिफारिशों को समिति द्वारा रिकॉर्ड किया गया था।

हमारे गरीब नागरिकों, विशेषकर महिला श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के बड़े वर्गों तक पहुंचने के लिए, माइक्रो-इन्श्योरेंस

संगठनों का समर्थन और सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। सरकार को समुचित सक्षम करने वाली नीतियों और विनियमों का विकास करना चाहिए, जिनमें विशेष रूप से लाइसेंसिंग माइक्रो-इन्श्योरेंस के लिए वर्तमान पूंजी आवश्यकता 100 करोड़ से 30 करोड़ रूपए तक घटाई जाए। पूंजी की आवश्यकता में कमी से, गरीबों की, गरीबों के द्वारा और गरीबों के लिए, विमोसेवा जैसे संगठन, माइक्रो-इश्योरेंस के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती को झेल पाएंगे।

5. सहकारी समितियों में निवेश

संसद ने 2012 में एक संविधान संशोधन पारित किया था जिसमें सहकारी समितियां बनाना सभी भारतीयों का मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगर इस महत्वपूर्ण संशोधन को सहकारिता के गठन और समर्थन में बदला जाए, विशेष रूप से देश के सबसे गरीब और सबसे कम सेवा वाले क्षेत्रों में, तो सरकार को सहकारी समितियों में निवेश करना होगा।

नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) को पहले ही कुछ सहयोग प्रदान किया जा रहा है, लेकिन उन्हें उद्दिष्ट फंड के माध्यम से सक्रिय रूप से महिलाओं की सहकारी समितियों तक पहुंचने की जरूरत है। इसका उपयोग सहकारिता विकसित करने के लिए किया जाएगा, मौजूदा सहकारिता को बढ़ाएगा और उन संगठनों के लिए व्यवहार्य विकल्पों के रूप में विकसित कर सकेंगे जिनके पास कम समावेशी प्रशासन संरचनाएं हैं। यह निधि एनआरएलएम के प्रयासों का भी सहयोग करेगी, श्रमिकों के स्वामित्व वाले एक समावेशी ढांचे की सहायता करेगी। इससे उन्हें बाजार में टिके रहने में मदद मिलेगी और कार्यशील पूंजी, इक्विटी, तकनीकी सहायता, डिजाइन और कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न इनपुटों तक पहुंच प्राप्त होगी।

इसके अलावा, सरकार को सहकारी समितियों के लिए आयकर से छूट देने पर विचार करना चाहिए। छूट सीमा को सहकारी समितियों के कारोबार से जोड़ा जा सकता है। यह भारत और विश्वव्यापी दोनों ही सहकारी आंदोलनों में भारत का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। यह सहकारी समितियों के माध्यम से माइक्रो-एन्टरप्राइज को बढ़ाकर हमारे 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बढ़ावा देगा। ■

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः सूचना प्रकटीकरण और सार्वजनिक सेवाएं

- स्वप्नी शाह

(स्वप्नी शाह 'उन्नति' में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और जोधपुर स्थित राजस्थान कार्यक्रम कार्यालय का कामकाज देखती हैं। यह पेपर अहमदाबाद में 3 अगस्त, 2017 को आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना के लिए यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित 'परियोजना की सीख' कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया था।)

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4.1 (बी) के तहत हर सार्वजनिक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह उसके पास उपलब्ध जानकारी का स्वतः खुलासा करे। सरकारी कार्यों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का खुलासा करने से शासन पारदर्शी और जवाबदेह बनता है। अधिनियम की सही भावना के अनुसार सही और उपयोगकर्ता अनुकूल जानकारी का खुलासा करने से ऐसे राज्य की स्थापना होगी, जहां नागरिक को जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के निर्णय को कायम रखते हुए स्वतः सूचना प्रकटीकरण (प्रोएक्टिव डिस्क्लोझर) के तहत सूचना उपलब्ध कराने के बारे में निर्णय देते हुए माननीय गुजरात हाई कोर्ट (स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नं. 2398, 2013 -चंद्रवदन ध्रुव बनाम गुजरात राज्य) ने टिप्पणी की है कि प्रत्येक विभाग हर वर्ष स्वतः सूचना प्रकटीकरण (प्रोएक्टिव डिस्क्लोझर) की स्थिति की समीक्षा करेगा और सुधार के लिए योजना तैयार करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरण इंटरनेट, नोटिस बोर्ड, दीवार लेखन और अन्य माध्यमों के माध्यम से जानकारी का खुलासा कर रहे हैं। वे सभी जानकारियां जो प्रतिबंधित नहीं हैं, उन्हें सरकारी विभागों की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाना चाहिए और इसे स्वतः सूचना प्रकटीकरण (प्रोएक्टिव डिस्क्लोझर) माना जाना चाहिए।

2014 में, राज्य सूचना आयोग के अनुरोध पर, उन्नति ने राज्य विभागों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए गुजरात में एक अध्ययन किया था। अध्ययन के लिए छह सरकारी विभागों - शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास, राजस्व, शहरी विकास और शहरी आवास की वेबसाइटों का चयन किया गया। इसके अलावा, इन विभागों के जिला और उप जिला कार्यालयों में जानकारी का

भौतिक खुलासा भी देखा गया। इसी तरह का अध्ययन राजस्थान में 2016 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, महिला और बाल विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का किया गया था। सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट की जाने वाली जानकारी और उपलब्ध जानकारी का आकलन और जांच करने के लिए समीक्षा की गई। जिला स्तर के कार्यकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं, समुदाय और स्थानीय कार्यकर्ताओं/निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ जानकारी की जरूरतों को समझने और प्रकटीकरण से सार्वजनिक सेवा वितरण कैसे प्रभावी बन सकता है उस पर चर्चा की गई। राज्य और विभागवार पृथक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई हैं और उनका राज्य प्रशासन के साथ संवाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष रूप से डिजिटल प्रकटीकरण में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पीएडी की स्थिति भी राज्यों में एकसी है।

स्वतः सूचना प्रकटीकरण में सुधार के लिए सामान्य अवलोकन, अच्छी पद्धतियां और सुझाव योजनाओं और जी.आर./जी.ओ. तक पहुंचने की निर्दिष्ट प्रक्रिया के बारे में जानकारी:

सभी सरकारी विभागों और जिला स्तर के कार्यालयों की वेबसाइट योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में व्यापक विवरण प्रदान करती हैं। अधिकांश विभाग, योजनाओं तक पहुंच के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करते हुए प्रासंगिक जीआर भी प्रदान करते हैं। यह देखा गया है कि जीआर को ट्रेक करना/देखना मुश्किल है क्योंकि सभी जीआर एक शीर्ष/आइकन के तहत रखे गए हैं। विशिष्ट योजना और कार्यक्रम के तहत संबंधित जीआर प्रदान किए जाते तो अधिक उपयुक्त होता। इससे नागरिकों को इन्हें देखने और

उनका उपयोग करने में आसानी होती है। इससे यदि लाभार्थी/नागरिक और संबंधित अधिकारियों के बीच पालन करने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई विरोधाभास है तो नियमों का त्वरित संदर्भ भी लिया जा सकेगा। जहां टैब भिन्न होते हैं, वहां विषयवार वर्गीकरण और खोज विकल्प आवश्यक होते हैं। सभी विभागों और संबंधित कार्यालयों को भी आवेदन प्रपत्र और स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी को अपलोड करना चाहिए।

1. लाभार्थी सूची: सब्सिडी कार्यक्रमों की लाभार्थी सूची अधिकांश वेबसाइटों पर उपलब्ध नहीं है। जब सब्सिडी कार्यक्रम जैसे हाउसिंग, कृषि उपकरणों की खरीद आदि के लिए लाभार्थी विवरण वेबसाइट पर लगाया जाता है, तो उनसे उचित जवाबदेही आती है। एमजीनरेगा की वेबसाइट एक उदाहरण है। गुजरात में, पोरबंदर जिले के कुटियाना ब्लॉक में, एमजीनरेगा की वेबसाइट पर एक पान वाले ने देखा कि कई एनआरआई के नाम 'कामगारों' की सूची में शामिल थे और उन्हें विभिन्न कार्यों के तहत भुगतान किया जा रहा था। एक औपचारिक शिकायत से बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ। सभी सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए, लाभार्थी सूची, चयन के मानदंड, कारण सहित उन आवेदकों की सूची प्रदान करना अधिक प्रासंगिक हो सकता है जिनको अस्वीकार किया गया था। ऐसी सूचियां ग्राम पंचायत, नगर पालिका के वार्ड कार्यालय आदि की दीवार पर भी लगाई जा सकती हैं।

2. बीपीएल सूची: बीपीएल सूची नागरिकों द्वारा सबसे अधिक मांगी जाने वाली जानकारी है क्योंकि यह कई सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए उनकी योग्यता निर्धारित करती है। गुजरात में, यह सूची ज्यादातर जिला पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

3. निविदा घोषणाएं और प्रदान करना: निविदा घोषणाएं अपलोड की जाती हैं, लेकिन निविदा प्रदान करने की जानकारी किसी भी विभाग द्वारा नहीं दी जाती। परियोजनाओं के लिए निविदा प्रदान करने की जानकारी में चयनित पार्टी, निविदा विनिर्देशों और राशि, चयन के मानदंड, परियोजना की अवधि, आदि का नाम शामिल हो सकता है। यह जानकारी काम के स्थल पर भी उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसी जानकारी को साझा करना पारदर्शिता को बढ़ाएगा।

4. लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकरण (एए): सभी विभागों की वेबसाइटों ने पीआईओ और एए के

बारे में जानकारी प्रदान की है। कुछ मामलों में, जानकारी अपडेट नहीं की गई थी। हर सार्वजनिक कार्यालय, चाहे वह ग्राम पंचायत, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पीडीएस दुकान हो उसे पीआईओ और एए के नाम, पता और फोन नंबर वाले बोर्ड अवश्य लगाना चाहिए ताकि नागरिक आरटीआई आवेदन कर सकें।

5. सार्वजनिक सेवा प्रदान करने पर महत्वपूर्ण घोषणाएं: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) या भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (बीएसबीवाई) के तहत इलाज के लिए मान्यता प्राप्त अस्पताल, आरएसबीवाई कार्ड की वैधता की निरंतरता, कितने भी प्रसव (न सिर्फ दो - जैसा कि माना जाता है) के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) की उपलब्धता आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रमुख जिला पंचायत वेबसाइटों पर और साथ ही प्रासंगिक कार्यालयों में सार्वजनिक सूचना बोर्ड के माध्यम से रखी जा सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण घोषणाओं को वेबसाइट पर प्रमुख रूप से रखा जा सकता है। राजकोट नगर निगम ने जन्म पंजीकरण को टीकाकरण अलर्ट के साथ जोड़ा है। नवजात बच्चों के माता-पिता अपने पंजीकृत मोबाइल पर टीकाकरण अलर्ट प्राप्त करते हैं। साबरकांठा जिला पंचायत और जिला कलेक्टर कार्यालय विकलांगता प्रमाणन शिविर, ग्राम सभा कार्यक्रम आदि की तारीखों की घोषणा पूर्व-निर्धारित मोबाइल नंबरों पर आवाज एसएमएस के माध्यम से कर रहा है। साबरकांठा जिले ने सभी टोल फ्री हेल्प लाइन्स वाले वाल पेपर (पोस्टर) जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) की वेबसाइट सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों और एम्बुलेंस सुविधाओं का मानचित्रण प्रदान करता है। लोगों द्वारा इस तरह की प्रथाओं का उपयोग किया जा रहा है और सराहना की जा रही है और सार्वजनिक सेवा को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है।

6. समिति के सदस्यों के बारे में जानकारी: कई अधिनियमों (सामाजिक न्याय समिति, रोगी कल्याण समिति, यौन उत्पीड़न के खिलाफ क्षेत्र शिकायत समिति) के तहत तैयार की गई विभिन्न समितियों के सदस्यों के बारे में जानकारी, उनके कार्य और मीटिंग विवरण वेबसाइटों पर उपलब्ध नहीं हैं।

7. बजट प्रावधान और व्यय: बजट आवंटन पर सूचना कुछ विभागों द्वारा साझा की जाती है; हालांकि, बजट उपयोग की

जानकारी आमतौर पर उपलब्ध नहीं रहती। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग (डीओआरडी और पीआर), गुजरात और राजस्थान की वेबसाइट की वित्तीय और भौतिक प्रगति रिपोर्ट, योजना के अनुसार बजट आवंटन, वास्तविक प्राप्ति और व्यय और योजना के अनुसार लक्ष्य और उपलब्धियां हैं।

8. सामान्य टिप्पणियां: जिस तारीख को वेबसाइट को अंतिम अपडेट किया गया है उसका उल्लेख किया गया है और नए अपलोड को चिह्नित किया गया है। आदेश और रिपोर्ट स्थानीय भाषा में पीडीएफ में उपलब्ध हैं और आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। कुछ वेबसाइटों, उदाहरण के लिए डीओआरडी और पीआर, राजस्थान पर विभागीय या अन्य बैठकों के नोटिस और कार्यवृत्त अपलोड किए जाते हैं लेकिन यह अधिकांश वेबसाइटों पर उपलब्ध नहीं है।

बाहरी संस्थानों की जानकारी के भौतिक प्रकटीकरण/सेवा प्रावधान बिंदुओं के उदाहरण नीचे दिए गए हैं जिसमें जोड़ी जाने वाली जानकारी के कुछ सुझाव शामिल हैं:

ए. पंचायत स्तर

1) बीपीएल सूची और प्रत्येक परिवार द्वारा प्राप्त लाभों के प्रकार, 2) ग्राम पंचायत के पीआईओ और अपीलिय प्राधिकरण (एए) के संपर्क विवरण, 3) ग्राम पंचायत में अधिदेशात्मक या स्थायी समितियों के सदस्यों के नाम, 4) विभिन्न सेवाओं और शिकायतों के टोल फ्री नंबर, 5) सूखे की स्थिति के दौरान दिए गए फसलों के मुआवजे के विवरण (मुआवजे के आधार और मात्रा को शामिल किया जा सकता है), 6) सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता: दी गई राशि, हकदारी की मंजूरी की अवधि और जहां अपील की जा सकती है उसको भी शामिल किया जा सकता है जो एक अच्छी पद्धति है), और 7) पेंशन भुगतान लाभार्थी की जानकारी।

कुछ पंचायतों ने दीवार पर लिखकर उपरोक्त जानकारी का खुलासा किया है। जहां दीवार की जगह सीमित है, वहां जानकारी लिखकर रजिस्ट्रारों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जा सकती है।

बी. आंगनवाड़ी में सूचना का खुलासा

1) आंगनवाड़ी और महत्वपूर्ण गतिविधियों का समय, 2) खाद्य

वितरण के लिए जिम्मेदार एसएचजी की सूची, 3) पंजीकृत कुपोषित बच्चों की सूची, 4) उपकरण और रजिस्ट्रारों/अभिलेखों की सूची (जो उपलब्ध होना चाहिए वह प्रदर्शित किया जाता है, ना कि वास्तव में जो वहाँ है), और 5) पंजीकरण के महीने के साथ लाभार्थियों की सूची और वितरित खाद्य पैकेट की संख्या।

सी. पीएचसी पर सूचना का खुलासा

1) पीआईओ और एए के संपर्क विवरण, 2) महीनों की शुरुआत में पीएचसी पर उपलब्ध आवश्यक दवाओं के स्टॉक ने मुफ्त दवाइयों के मिलने में सुधार किया है और मुफ्त दवाइयों की उपलब्धता से संबंधित भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकने में मदद मिली है (सूची को हर माह अपडेट किया जाना चाहिए), 3) पीएचसी में उपलब्ध मुफ्त सेवाएं, 4) पीएचसी स्तर पर कर्मचारियों का नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर, 5) ग्राम संजीवनी समिति (वीएच एंड एसएनसी) के सदस्य; इसे ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी और उप-केंद्र में भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए, 6) उप-केंद्रों के जलागम का नक्शा, 7) स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध रजिस्ट्रारों और रिकॉर्ड की सूची, और 8) शिकायत पंजीकरण के लिए टोल फ्री नंबर।

डी. स्कूलों में सूचना का खुलासा

1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के तहत छात्रों और छात्राओं के कक्षावार नामांकन और उपस्थिति, 2) एसएमसी सदस्यों की सूची (बैठक की तारीख और उपस्थित सदस्यों को शामिल किया जा सकता है), 3) मिड-डे मील (एमडीएम) मेनू, छात्र उपस्थिति और स्टॉक 4) प्राप्त अनुदान की जानकारी (उपयोग शामिल किया जा सकता है)।

स्वतः प्रकटीकरण को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें

1. विभाग प्रमुखों का सक्रिय प्रायोजन आवश्यक है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचनाओं को एकीकृत करने के साधनों और तंत्रों का पता लगाना चाहिए। सभी जानकारी को लगातार अद्यतन करना चाहिए। विभागीय प्रमुख को हर तिमाही में कम से कम एक बार जानकारी प्रकटीकरण के प्रवर्तन की समीक्षा/निगरानी करनी चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि विभाग एसआईसी के साथ अपनी प्रकटीकरण नीति साझा करें।
2. विभागों को सूचना का खुलासा करने के लिए स्थानीय स्तर के सरकारी अधिकारियों को उपयुक्त प्रारूप/टेम्पलेट प्रदान करना

चाहिए। ऑन लाइन और सेवा स्थान प्रकटन के बीच संपर्क रहना चाहिए। क्रॉस डिपार्टमेंट लिंक को स्थापित किया जाना चाहिए।

3. जानकारी के लिए प्राप्त अनुरोधों और प्रतिक्रियाओं की सूची प्रदान की जानी चाहिए। कम से कम सारांश प्रदान किया जा सकता है।
4. शिकायत निवारण तंत्र - डिजिटल, मोबाइल और भू स्थित भौतिक तंत्र को सरल भाषा में वर्णित करना चाहिए और सभी विभागों और योजना वेबसाइटों और पोर्टलों के होमपेज पर, भौतिक सेवा स्थानों और संबंधित कार्यालयों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। नागरिकों का अधिकार है कि जब भी वे किसी भी तरह से शिकायत दर्ज करते हैं तो उन्हें दिनांक सहित रसीद मिले। उन्हें उनकी शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। सभी विभागीय वेबसाइटों पर प्राप्त शिकायतों और निवारण की स्थिति पर अद्यतन जानकारी होनी चाहिए और फोन नंबरों के साथ राज्य शिकायत पोर्टल और पीजीपोर्टल का लिंक प्रदान करना चाहिए।
5. पीआईओ और एए के रूप में नामित अधिकारियों को आरआईआई और पीएड पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्राथमिकता में भेजा जाए। राज्य प्रशिक्षण संस्थान सूचना प्रकटन प्रथाओं पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इंटरैक्टिव ऑडियो और वीडियो प्रशिक्षण और प्रचार सामग्री विकसित करें। लंबे समय में, इससे संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रमों, कार्यकलापों और

संस्थागत तंत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रतिरोध को कम करने में मदद मिलेगी।

सीखने के मुख्य बिंदु

1. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4.1 (बी) के तहत हर सार्वजनिक प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने पास उपलब्ध जानकारी का स्वतः खुलासा करें।
2. सरकारी कामकाज, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा करना पारदर्शी और जवाबदेह शासन की ओर कदम बढ़ाता है।
3. हर सार्वजनिक कार्यालय, चाहे वह ग्राम पंचायत, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पीडीएस दुकान हो उसे पीआईओ और एए के नाम, पता और फोन नंबर वाले बोर्ड अवश्य लगाना चाहिए ताकि नागरिक आरटीआई आवेदन कर सकें।
4. सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण घोषणाओं को विभाग की वेबसाइट, जिला पंचायत वेबसाइटों के साथ-साथ संबंधित कार्यालयों में सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर भी प्रमुख रूप से रखा जाए।
5. ऑन-लाइन और सेवा स्थान प्रकटन के बीच संपर्क बना रहना चाहिए।
6. डिजिटल, मोबाइल और भू स्थित भौतिक तंत्र को सरल भाषा में वर्णित करना चाहिए और सभी विभागों और योजना वेबसाइटों और पोर्टलों के होमपेज पर, भौतिक (व्यक्तिशः) सेवा स्थानों और संबंधित कार्यालयों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना चाहिए।

कहाँ हैं हमारे गरीब लोग ?

- राहुल सिंह, परियोजना प्रभारी, 'उन्नति'

गरीबी की परिभाषा के अनुसार - 'गरीबी कुछ निश्चित (भिन्न) सामग्री या धन की कमी या अभाव है और यह एक बहुमुखी अवधारणा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक (मनोवैज्ञानिक) तत्व शामिल हैं। अपनी सरल परिभाषा में असीम या अत्यधिक गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति बुनियादी, व्यक्तिगत ज़रूरतों जैसे भोजन, कपड़े और आश्रय को पूरा करने में असमर्थ रहता है। वर्ष 2000 में 'संयुक्त राष्ट्र' के आठ-बिन्दु 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्ल्स' (एमडीजी) जारी किए गए थे जिसमें वर्ष 2015 तक गरीबी, भूख, बीमारी, निरक्षरता, पर्यावरण गिरावट और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जैसी मुख्य समस्याओं से निपटना था। दिसंबर 2015 में एमडीजी अपने समापन चरण पर आ गया था, और फिर हमें खुद से सवाल पूछना था 'क्या दुनिया में ऐसा कोई भी देश है जो गरीबी से मुक्त है या जहां गरीबी नहीं है?' इसका जवाब अभी भी बहुत बड़े 'ना' में है क्योंकि आज भी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो वास्तव में गरीबी या गरीब लोगों से मुक्त होने का दावा कर सकता हो।

संयुक्त राष्ट्र के 191 सदस्य देशों के साथ-साथ भारत ने 2000 में संयुक्त राष्ट्र एमडीजी को अपनाया था ताकि लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी और भूख, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य की स्थिति से मुक्त किया जा सके। एमडीजी दिसंबर, 2015 में समाप्त हो गया। इसने भारत में 1990 के दशक के आंकड़ों की तुलना में गरीबी को कम करने में मदद की। लेकिन आगे लंबा रास्ता तय करना बाकी है। संयुक्त राष्ट्र की 2015 रिपोर्ट के मुताबिक देश में 125 करोड़ लोगों में से करीब 30 करोड़ लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। दुनिया के एक तिहाई गरीब लोग, करीब 1.2 अरब गरीबों की आबादी भारत में रहती है। 'संयुक्त राष्ट्र' की एमडीजी रिपोर्ट (2014) ने बताया कि 2012 में दुनिया में पांच वर्ष से कम आयु में मौतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज करने वाले भारत में, 1.4 मिलियन बच्चों की मौत उनके पांचवें जन्मदिन पर पहुंचने से पहले हो जाती थी। अक्टूबर, 2017 में 'इंटरनेशनल फूड पॉलीसी रिसर्च

इंस्टीट्यूट' (एफपीआरआई) द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में, 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017' (जीएचआई) द्वारा 119 विकासशील देशों में से भारत को 100वां स्थान दिया गया है जो भारत में भूख की मौजूदा स्थिति की गंभीरता को उजागर करता है। यहां तक कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों को भारत की तुलना में ऊंचा स्थान दिया गया है। वास्तव में, भारत का रैंक 97 से गिर कर 100 तक आ गया है।

स्थिति की गंभीरता को इस तथ्य से महसूस किया जा सकता है कि दुनिया का हर तीसरा गरीब भारत में रहता है। देश की लगभग 60 प्रतिशत गरीब आबादी भारत के सात राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहती है, जहां देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत गरीब रहते हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले में भूख और भुखमरी से मरने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की हालिया खबर भारत के गरीब परिवारों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और कष्टों का एक जबरदस्त उदाहरण है। इसका कारण आधार संख्या से जुड़ा नहीं होने के कारण परिवार का राशन कार्ड रद्द करना और बाद में सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के तहत परिवार को राशन देने से इनकार करना था। भारत में कभी भूख पट्टी के रूप में कुख्यात ओडिशा के कोरापुट-बलांगीर-कालाहांडी (KKBK) जिलों में अभाव और भुखमरी से मौतों वाली स्थितियां अभी भी देश के बेहद गरीब लोगों पर मंडरा रही हैं। 2014 में ओडिशा की भूख की स्थिति पर अशोक प्रधानी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया, 'तीस साल बाद, KKBK निवासियों की स्थिति में शायद ही सुधार हुआ है। लोगों के समूह विस्थापित हो रहे हैं। कुपोषण, उच्च शिशु मृत्यु दर, स्कूल में दयनीय नामांकन के आंकड़े और जारी रखने की खराब दर चिंता का कारण बने हुए हैं'।

दूसरे मोर्चे पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास के आधार पर आईएमएफ, विश्व बैंक, और फोर्ब्स के व्यापक आर्थिक अनुमानों

का आकलन है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह आशा की जाती है कि वह 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। पिछले दशक में प्रति वर्ष 7.3 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ हालांकि भारत की आर्थिक विकास प्रशंसनीय लगती है, लेकिन जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास और पर्यावरण जैसे अन्य सामाजिक सूचकों को ध्यान में लेते हैं, तो भारत की गति सुस्त लगती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 61 मिलियन से अधिक बच्चे हैं, जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित हैं। कुपोषण और अपर्याप्त भोजन मौत का मुख्य कारण रहा है।

सामाजिक प्रगति इम्पेरेटिव सर्वे, 2016 के हाल ही में प्रकाशित परिणाम ने 'निम्न सामाजिक प्रगति' श्रेणी में 143 देशों में से भारत को 98वां स्थान दिया है। इस अध्ययन में अलग-अलग देशों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए बुनियादी मानव आवश्यकताओं (पोषण, जल और स्वच्छता, आश्रय, निजी सुरक्षा), कल्याण का आधार (बुनियादी ज्ञान तक पहुंच, सूचना तक पहुंच और संचार, स्वास्थ्य और कल्याण, पर्यावरण गुणवत्ता) और अवसर (व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चयन, सहिष्णुता और समावेश, उन्नत शिक्षा तक पहुंच) जैसे सूचकांकों पर विचार किया गया था। मानव विकास सूचकांक की बात करते समय भी थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और नेपाल जैसे छोटे देशों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। सामाजिक प्रगति सर्वेक्षण में भारत की निराशाजनक रैंकिंग इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि अब समय आ गया है कि हम अगर वास्तव में निराधार लोगों की पीड़ा को कम या समाप्त करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना शुरू करना ही होगा।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में देश के अत्यंत गरीब वर्गों के बीच बारंबार होने वाली मौतों और भूख की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर गरीब और गरीब परिवारों का पता लगाने में सक्षम हैं। भारत में गरीब लोगों की प्रकृति और संख्या का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों को लागू करने वाली विभिन्न परिभाषाएं अभी तक यह सामने लाने और प्रोजेक्ट करने में सफल नहीं रही हैं कि वास्तव में गरीब कौन है? और हमारे देश में उनकी वास्तविक संख्या क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार देश की 22 प्रतिशत आबादी इसकी आधिकारिक गरीबी सीमा से नीचे है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र एमजीडी रिपोर्ट 2011-12 के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या क्रमशः 276 और 270 मिलियन है। सुरेश तेंदुलेकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 2009-2010 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे 354 मिलियन आबादी (जनसंख्या का 29.6 प्रतिशत) थी और 2011-12 में 269 मिलियन (जनसंख्या का 21.9 प्रतिशत) थी। रंगराजन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2009-2010 में गरीबी रेखा से नीचे 454 मिलियन आबादी (आबादी का 38.2 प्रतिशत) थी और 2011-12 में 363 मिलियन (जनसंख्या का 29.5 प्रतिशत) थी।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि हमारे देश में गरीबों की सही संख्या का अनुमान लगाने के लिए एकमात्र पद्धति का अभाव है और गरीबी की सीमा को मापने के लिए गरीबी रेखा की कोई भी परिभाषा नहीं है। लेकिन इस मामले का तथ्य यह है कि देश में बड़ी संख्या में लोगों को निराशा, कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि देशभर में गरीबों की पहचान करने की प्रक्रियाओं और तरीकों के बीच एक मौजूदा अंतर है और यह पूरे देश में गरीबों और गरीब परिवारों के जीवन पर गंभीर अपरिवर्तनीय प्रभाव लाता है। मौजूदा स्थिति खतरनाक है और यदि हम हमारे देश में गरीब परिवारों की संख्या और गरीबों का पता लगाने में असमर्थ हैं, तो हम सिर्फ सामाजिक समानता के साथ प्रगति नहीं कर सकते।

ऐसा नहीं है कि भारत जैसे विकासशील देश ही अपने गरीबों की स्थिति तलाशने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी अपने लोगों में गरीबी की मौजूदा स्थिति के विस्तार को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। यह तथ्य भी है कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका में 41 मिलियन गरीब लोगों की मौजूदगी है (अन्य अनुमान इन आंकड़ों से बहुत ज्यादा बताते हैं) जो गरीबी की सर्वव्यापी प्रकृति की पुष्टि करता है। यही कारण है कि बेहद गरीबी और मानवीय अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फिलिप एल्स्टनने अमेरिका की गरीबी की स्थिति को उजागर करने के लिए तट से तट तक की जांच शुरू कर दी है और दुनिया के

सबसे अमीर देश और इसके राष्ट्रपति को अमेरिका के सबसे कमजोर नागरिक की कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इस दौरे को लोगों की सामाजिक और आर्थिक चिंताओं में शामिल करने के लिए किया गया है, जो बड़े अमेरिकी सपनों की ओर ले जाता है। संयुक्त राष्ट्र के दौरे में कैलिफोर्निया में बेघर लोगों की स्थिति, सुदूर दक्षिण में नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले लोगों, प्यूर्टो रिको में लोगों की परिस्थितियों के संचित उपेक्षा और पश्चिम वर्जीनिया में औद्योगिक नौकरियों की गिरावट पर ध्यान देने की संभावना है।

‘संयुक्त राष्ट्र’ का अमेरिका के प्रतिकूल क्षेत्रों में बेहद गरीबी और मानवाधिकार दौरे पर नजर रखने का बड़ा उद्देश्य दुनिया को यह दर्शाना और मजबूत संदेश भेजना है कि कोई भी देश कितना भी अमीर क्यों न हो, बढ़ती असमानता से प्रेरित मानव दुखों से मुक्त नहीं है। कोई भी राष्ट्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मानवाधिकार कानून की पहुंच से परे नहीं है। इन दौरों से आगे बढ़ाए जाने वाला एक और अधिक अंतरंग और महत्वपूर्ण सवाल यह होगा- यदि आप बुनियादी जीवन स्तर को पूरा करने में असमर्थ हैं तो क्या यह संभव है कि आप दुनिया के एक प्रमुख लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक भागीदारी या मतदान अधिकार जैसे मौलिक मानवाधिकार का आनंद ले सकें। फिलहाल फिलिप एल्स्टन द्वारा दौरा शुरू करने से पहले दिए गए एक बयान में कहा गया है कि अब यह दुनिया के लिए कोई छिपी बात नहीं है कि ‘अमेरिका में विशाल धन-संपत्ति होने के बावजूद, वहां भी काफी गरीबी और असमानता मौजूद है’, जो दुनिया भर में धन की बढ़ती असमानता के बारे में उभरती चिंताओं का प्रतीक है।

ऐसे समय में जब भारत के 1 प्रतिशत सबसे धनी लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 58 प्रतिशत है, जो वैश्विक आंकड़े लगभग 50 प्रतिशत से अधिक है। तब नागरिकों के समुचित, लोकतांत्रिक और न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास को लाने के लिए हमें पहले हमारे पास या जहां कहीं भी हम हैं गरीब लोगों और गरीब परिवारों की पहचान करनी होगी। हमारे सहायता वाले हाथ और सरकारी कार्यक्रम और नीतियां सबसे अधिक वंचित और उपेक्षित समूहों की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। देश के प्रत्येक गरीब और निराश्रित परिवार के लिए भोजन, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों

को आसानी से सुलभ करने के लिए सरकार, लोगों और नागरिक समाज द्वारा हर संभव कदम उठाना होगा। हमारे आसपास गरीब व्यक्ति और गरीब परिवार को गरीबी प्रमाणित करने के लिए बड़े प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में रोजमर्रा की समस्याओं के बारे में उनकी स्थिति और हालत उन लोगों के बारे में चीख-चीख कर बतलाती है।

सामाजिक प्रगति की कीमत पर केवल ‘विकास’ पर जोर देना भारतीय समाज में असमानता को ही बढ़ावा देगा और यदि यह स्थिति बनी रहती है तो देश के रूप में सामाजिक प्रगति को पूरा करना और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करना मुश्किल होगा, जो आखिरकार सबसे अधिक वंचित वर्गों को वहां पहुंचा देगा जहां से वापस लौटना मुश्किल होगा।


स्रोत:

- 1) TNN, (2015, February 4). 30 crore people still live in extreme poverty in India: UN report. The Times of India, Retrieved from <https://timesofindia.indiatimes.com/india/30-crore-people-still-live-in-extreme-poverty-in-India-UN-report/article-show/46122767.cms>
- 2) Himanshi Dhawani, (2014, July 17). India is home to world's 1/3rd of extreme poor population: UN study. The Times of India, Retrieved from <https://timesofindia.indiatimes.com/india/India-is-home-to-worlds-1/3rd-of-extreme-poor-population-UN-study/articleshow/38512305.cms>
- 3) National, (2017, October 30). दुनिया का हर तीसरा गरीब भारतीय Dainik Jagran, Retrieved from <https://www.jagran.com/videos/news/national-global-hunger-index-2017-india-ranks-100th-among-119-nations-v31964.html>
- 4) Ashok Pradhani, (2014, March 31). Netas feed off Odisha hunger belt. The Times of India, Retrieved from <https://timesofindia.indiatimes.com/news/Netas-feed-off-Odisha-hunger-belt/articleshow/32991572.cms>
- 5) K.S. Venkatachalam, (2016, October 18). Why GDP Is a Bad Indicator for India's Economic Development. The Diplomat, Retrieved from <https://thediplomat.com/2016/10/why-gdp-is-a-bad-indicator-for-indias-economic-development/>
- 6) Ed Pilkington, (2017, December 1). Why the UN is investigating extreme poverty ... in America, the world's richest nation. The Guardian, Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2017/dec/01/un-extreme-poverty-america-special-rapporteur?CMP=Share_iOSApp_Other
- 6) PTI, (2017, January 17). Richest 1% own 58% of total wealth in India: Oxfam. The Hindu, Retrieved from <http://www.thehindu.com/business/Economy/Richest-1-own-58-of-total-wealth-in-India-Oxfam/article17044486.ece>

हमारे हाथ, हमारा भविष्य

बाड़मेर जिले के सिंधरी ब्लॉक में 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' (वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस)
मनाने पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट

- राहुल सिंह, परियोजना प्रभारी, उन्नति



Global Handwashing Day :: 15th of October
"Our hands, our future!"

'हमारे हाथ, हमारा भविष्य!'

हर साल दुनिया भर में 15 अक्टूबर को 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पैरवी दिवस है जो साबुन से हाथों को धोने, रोगों को रोकने और जीवन बचाने के लिए आसान, प्रभावी और सस्ते तरीके के रूप में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' की शुरुआत अगस्त 2008 में 'ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप' (जीएचपी) द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में 'विश्व जल सप्ताह' में की गई थी। पहला 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तय तारीख 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया, और वर्ष 2008 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को प्रोत्साहित करने और साबुन से हाथ धोने की वैश्विक और स्थानीय



स्कूली बच्चों द्वारा रैली - सिंधरी, बाड़मेर, राजस्थान

दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक तरीकों को डिजाइन, परीक्षण और दोहराने के एक अवसर को आगे ले जाना था।

वर्ष 2008 में मनाये गये पहले 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' ने दुनिया भर के 120 मिलियन से अधिक साबुन से हाथ धोने के लिए प्रतिबद्ध बच्चों का भारी समर्थन प्राप्त किया। यह लगभग 70 देशों में मनाया गया था। तब से, विभिन्न समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं ने साबुन से हाथ धोने की वैश्विक और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए दुनिया भर में साबुन से हाथ धोने की स्थिति को रोशन करने, हाथ धोने के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाकर एक समर्पित दिन के रूप में ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे को बढ़ावा दिया है। रोज़मर्रा की जिंदगी में स्वच्छ हाथों की सादगी और महत्व दर्शाने के लिए जीएचडी एक विशेष दिन है। हर साल दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में 200 मिलियन से अधिक लोग समारोह में शामिल होते हैं। 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' को सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों और व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रेणी के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

हाल ही में 'यूनिसेफ' की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की निमोनिया और दस्त से सबसे ज्यादा मौतें, लगभग तीन लाख मौतें दर्ज की हैं। इसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दस्त बच्चों का सबसे बड़ा हत्यारा है, जो दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के 9 प्रतिशत बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। सरल प्रभावी उपचार की उपलब्धता के बावजूद, इससे प्रति दिन 1400 से अधिक बच्चे, या प्रति वर्ष लगभग 5,26,000 बच्चे मरते हैं।

राजस्थान उन चार राज्यों में शामिल है जहां 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' और 'यूनिसेफ' द्वारा दस्त और निमोनिया के लिए 'इंडिया एक्शन प्लान' शुरू करने की योजना है क्योंकि पांच वर्ष से कम की मृत्यु दर के राज्य संकेतक बताते हैं कि प्रति 1,000 जीवित जन्मों में से 59 बच्चे अगला दिन नहीं देख पाते। इसके अलावा, 'वार्षिक स्वास्थ्य



। स्कूली बच्चे स्कूलों और घर पर रोजाना साबुन से हाथ धोने की प्रतिज्ञा लेते हुए

सर्वेक्षण' (एएचएस) बुलेटिन, 2011 के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में पांच वर्ष से कम की मृत्यु दर 28 प्रतिशत अधिक है। इसलिए, आंगनवाड़ी और स्कूलों में और बचपन के प्रारंभिक वर्षों में साबुन से हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे स्वच्छता और सफाई में सुधार होता है। बच्चों में और उनके माता-पिता में भोजन करने या भोजन छूने से पहले या शौचालयों का उपयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोने जैसे सामान्य व्यवहार में परिवर्तन से हानिकारक संक्रमण और खतरनाक बैक्टीरिया, एंथेईस्ट के संचरण को आसानी से 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

शुरूआत से ही 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' को मनाना और शुरू करना स्कूली बच्चों पर केन्द्रित रहा है। 2008 में महान क्रिकेट खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर अपनी टीम के साथ भारत में 100 मिलियन स्कूली बच्चों को 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' कैंपेन के हिस्से के रूप में बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए स्कूलों और घरों में साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के अभियान में शामिल हुए थे। 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' पर स्कूल स्तर पर गतिविधियों का आयोजन और कार्यक्रम को मनाना स्कूलों में उनकी प्रासंगिकता को जताता है। ये स्कूली बच्चों और सामान्य जनता के बीच स्वच्छ और साफ हाथों के महत्व और गंदे हाथों से होने वाले संक्रमण को रोकने की प्रक्रिया की में हाथ धोने के महत्व के बारे में संदेश प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित और योगदानकर्ता रही हैं।

व्यवहार में बदलाव लाने और जीएचडी की आत्मा और भावनाओं

को जिंदा रखने की आशा के साथ, उन्नति - विकास शिक्षण संगठन ने 15 अक्टूबर, 2017 को राजस्थान में बाड़मेर जिले के सिंधरी ब्लॉक के गैलानाडी गांव में 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' का आयोजन किया। हमारा मानना है कि 'ग्लोबल हैंडवॉशिंग डे' अभियान विशेष रूप से देश के ग्रामीण इलाकों में बीमारी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में साबुन से हाथ धोने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस कार्यक्रम में 356 लोगों की भागीदारी हुई, मुख्य रूप से 3 से 15 आयु वर्ग के कक्षा 1-10 के स्कूली बच्चे, कुर्जा (स्वास्थ्य, पोषण और WASH स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित किशोरियां), 27 एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) केंद्रों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आसपास के गांवों से समुदाय ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सरपंच, वार्ड मेम्बर जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि, उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम), बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ), आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक और कार्यक्रम अधिकारी (पीओ-एमजीनरेगा) सहित सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।

यह कार्यक्रम 180 स्कूली बच्चों और कुर्जा (स्वास्थ्य, पोषण और WASH स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित किशोरियां) के नेतृत्व में रैली के साथ शुरू हुआ। उन्होंने 'साफ हाथ स्वच्छता का आधार, ऐसा रचेंगे हम घर संसार', 'ले कर आये हम ये संदेश, स्वच्छ हो हाथ तन मन और ये देश' और 'काका काकी ने केहणो है, साफ सूफी से रेणो है' आदि नारों के माध्यम से साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में संदेश और सूचना फैलाई। नारे प्लाकार्ड पर भी लिखे गए थे। प्रत्येक मौके पर, कुर्जा ने हाथ धोने के महत्व को लोगों से बेसिन में उनके हाथ धुलाकर और फिर साफ बोतलों में पानी इकट्ठा करके दिखाया। उन्होंने गंदे पानी की तुलना साफ पानी से की और लोगों से सोचने को कहा कि हाथ नहीं धोने पर उस गंदगी का क्या होता।

इस कार्यक्रम से एक दिन पहले, बच्चों ने ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली और निबंध लेखन के माध्यम से थीम पर खुली प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और उनके काम को सभी के देखने के लिए प्रदर्शित किया गया था। विजेताओं और कुछ बेहतर प्रदर्शन करने वाली आंगनवाड़ियों का सम्मान किया गया। पुरस्कार में एक बुनियादी व्यक्तिगत स्वच्छता किट था। सभी प्रतिभागियों ने भोजन करने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोने की प्रतिज्ञा ली। ■

विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 - एक गंभीर चिंतन

- प्रसन्ना कुमार पिन्चा

विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्व मुख्य आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली

यह संक्षिप्त लेख विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 'आरपीडी अधिनियम', 2016 के महत्वपूर्ण अधिकारों के गंभीर विश्लेषण का एक मामूली प्रयास है, जो पूर्ववर्ती पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 का स्थान लेगा। इसे भारत सरकार ने अपने सभी घरेलू और संबंधित कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि वाली नीतियों, अर्थात्, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन [UNCRPD] की तर्ज पर अपने प्रयासों के रूप में अधिनियमित किया है।

'आरपीडी अधिनियम' 19 अप्रैल, 2017 से देश में लागू हुआ है; और आरपीडी नियम, 2017 नामक केंद्रीय सरकार नियमों को इस अधिनियम की धारा 100 के तहत अधिसूचित किया गया है और वे 15 जून, 2017 से लागू हो गए हैं। ये नियम अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने के लिए हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को इसी उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के नियमों को भी बनाना होगा और अधिसूचित करना होगा।

खुशफहमी वाले पहलू

यह कहने की जरूरत नहीं है कि आरपीडी अधिनियम एक प्रगतिशील, दूरदेशी और महत्वाकांक्षी कानून है जो सभी विकलांग लोगों के लिए एक मजबूत अधिकार व्यवस्था को संस्थागत रूप में स्थापित करता है। इस अधिनियम के निम्नलिखित कुछ खुशफहमी वाले पहलुओं के उदाहरण हैं जो एक बहुत मजबूत अधिकार वाली महक को उजागर करते हैं और निवर्तमान पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के साथ तुलनात्मक तस्वीर भी देते हैं:

1. पीडब्ल्यूडी अधिनियम के विपरीत, आरपीडी अधिनियम स्पष्ट रूप से विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का आकलन करने के अलावा उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की परिकल्पना करता है। उदाहरण के लिए, यह समानता और गैर-भेदभाव, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, मतदान, आदि में पहुंच के बारे में है।

2. यह नया कानून विकलांगता के लिए एक सामाजिक और मानव अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और यह स्वीकार करता है कि अन्य लोगों की ही तरह विकलांग व्यक्ति मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सक्षम हैं।
3. आरपीडी अधिनियम, कानून के समक्ष विकलांग व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही मानता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार को आदेश देता ताकि वे दूसरों की ही तरह अपनी कानूनी क्षमता का उपभोग कर सकें।
4. यह अधिनियम विकलांगता के साथ लिंग और आयु की आपसी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करता है। यह इस मामले में दोहरा दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके परिणामस्वरूप विकलांग महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित और विशिष्ट प्रावधान बनाने के अलावा, यह उनका अन्य उपयुक्त स्थानों में भी उल्लेख करता है।
5. आरपीडी अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के वर्गीकरण का विस्तार करता है ताकि पुराने पीडब्ल्यूडी अधिनियम में 7 की तुलना में 21 स्थितियों को कवर किया जा सके। इसके अलावा, नए कानून में विकलांग व्यक्तियों के सूक्ष्म वर्गीकरण की भी चर्चा है।
6. आरपीडी अधिनियम के लागू होने के बाद पात्रता, उदाहरण के लिए, सरकारी रोजगार में, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, गरीबी उन्मूलन योजनाओं, आदि में आरक्षण का कोटा का दायरा बढ़ाया और विस्तारित किया गया है ताकि अब निरस्त पीडब्ल्यूडी अधिनियम की तुलना में बौद्धिक विकलांग लोगों सहित विकलांग लोगों की अधिक श्रेणियां को शामिल किया जा सके।
7. पीडब्ल्यूडी अधिनियम की तुलना में, मौजूदा आरपीडी कानून कार्यों और संरचना के मामले में नियामक, निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करता है। इसमें अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के केसों की फास्ट ट्रेकिंग के लिए जिला स्तर पर विशेष अदालत की नियुक्ति का भी प्रावधान है।
8. आरपीडी अधिनियम इस नए कानून के तहत बनाए जाने वाले

विभिन्न निकायों में विकलांग महिलाओं के प्रतिनिधित्व सहित विकलांगों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान है। इस प्रकार अनुभवात्मक विशेषज्ञता का महत्व और अनिवार्यता को भी मान्यता प्राप्त हुई है।

9. इस अधिनियम में इसके कुछ मूलभूत प्रावधानों के अनुपालन के लिए समय सीमा प्रदान की गई है जिसमें पहुंच (अभिगम्यता) मानदंडों के अनुपालन के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। पहुंच के आयाम में न केवल सरकारी प्रतिष्ठान, बल्कि अधिनियम में परिभाषित निजी प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। पहुंच संबंधी प्रावधानों में आम जनता के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं और सुविधाओं की पहुंच शामिल है, भले ही वे सरकार द्वारा या निजी संस्थाओं के द्वारा क्यों ना चलाई जा रही हों।
10. इस अधिनियम में एक समर्पित अध्याय, अध्याय 16 शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ, अधिनियम के प्रावधानों, या इसके तहत तैयार किए गए नियमों और नियमों के उल्लंघन; और, अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने, आदि के लिए दंड का प्रावधान है।
11. यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
12. इस नए कानून में जोखिम की स्थिति, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपात स्थिति में विकलांग व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान बनाये गये हैं।
13. इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि के निर्माण के लिए भी प्रावधान हैं।
14. आरपीडी अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि किसी भी विकलांग व्यक्ति से विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं बताया गया हो कि वह अनुचित कार्य या चूक वैध उद्देश्य हासिल करने के लिए है।
15. इस अधिनियम में यह भी प्रदान है कि अधिनियम की धारा 58 के तहत जारी विकलांगता प्रमाण पत्र देश भर में मान्य होगा। यह एक राज्य से दूसरे स्थान पर विकलांग व्यक्तियों को नए विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की परेशानी से बचाएगा।
16. यहां तक कि निजी संस्थाएं, खासकर, जिनके पास 20 या अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें समान अवसर नीति बनानी होगी, हालांकि निजी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

परेशानी वाले पहलू

कोई भी कानून शायद ही बिल्कुल परिपूर्ण होता होगा; और आरपीडी अधिनियम भी कोई अपवाद नहीं है। अधिनियम के कुछ परेशानी वाले पहलुओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. धारा 3 की उप-धारा 3 जो विकलांगता के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है उसमें परेशान करने वाला परंतुक/प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में कहा गया है कि किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया हो कि अनुचित कार्य या चूक वैध उद्देश्य हासिल करने का एक आनुपातिक साधन है। 'आनुपातिक साधन' और 'वैध उद्देश्य' की अभिव्यक्तियों को इस अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप यह नौकरशाही की व्यक्तिपरक व्याख्या के लिए छोड़ दिया गया है। इसलिए, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार के आरपीडी नियमों में प्रदान इस प्रावधान के दुरुपयोग से जुड़े सुरक्षा उपाय नाकाफी हैं। इस तरह एक अन्यथा प्रगतिशील कानून में इस तरह के प्रतिगामी प्रावधानों के की में ही कहां जरूरत थी, विशेष रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है और कहता है कि उचित वर्गीकरण से भेदभाव नहीं होता है।
2. इस तर्क में दम है कि यह कानून केवल विकृति वाले विकलांग लोगों के लिए होना चाहिए, न कि बीमारी आधारित विकलांगों के लिए। तथ्य यह है कि कई बीमारी आधारित स्थितियों को भी विकलांगता के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे यूननसीआरपीडी के साथ-साथ इस अधिनियम दोनों के उद्देश्य के कमजोर पड़ने की संभावना है। यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि बीमारी-आधारित स्थितियों को हल नहीं किया जाना चाहिए। इससे अलग, हमारी राय केवल यह है कि बीमारी संबंधी स्थितियों के लिए अलग कार्यक्रम/योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।
3. कुछ अधिकारों की आधे-अधूरे मने से अभिव्यक्ति चिंता का दूसरा क्षेत्र है। उदाहरण के लिए, अधिनियम में मतदान में पहुंच के बारे में बात की गई है, लेकिन इसमें किसी विकलांग व्यक्ति के चुनाव लड़ने के अधिकार और निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में पद धारण के बारे में चुप्पी है। हालांकि वोट देने के अधिकार में इस तरह के पद धारण करने का अधिकार निहित है, तो चुनाव लड़ने और निर्वाचित पद धारण करने के अधिकार की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने से कानून को किसने रोका था?

4. अधिनियम की धारा 14 में परिकल्पित संरक्षकता के संबंध में प्रावधान पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। लेखक के सोचने के तरीके के अनुसार, ये प्रावधान दिमाग को चकरा देने वाली अस्पष्टताओं से ग्रस्त हैं, और इसलिए, अभूतपूर्व भ्रम पैदा होने की संभावना है। उक्त धारा 14 की अब कई व्याख्याएं की जा रही हैं। हालांकि यह मुद्दा इतना जटिल और सूक्ष्म है कि इस पर एक अलग लेख लिखने की आवश्यकता है। लेखक के विचार संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

हम धारा 14 की उपधारा 2 और उपधारा 1 के प्रावधानों के बीच स्पष्ट विरोधाभास देख सकते हैं। जबकि उक्त धारा की उपधारा 2 के अनुसार आरपीडी अधिनियम लागू होने के दिन और तारीख से इस समय लागू किसी भी कानून के तहत नियुक्त सभी अभिभावकों को 'सीमित अभिभावक' घोषित किया गया है, वहीं उपधारा 1 जहां पूर्ण सहायता की आवश्यकता की बात हो पूर्ण या पूर्ण संरक्षकता बनाए रखने की बात करती है। क्या पूरी सहायता पूर्ण संरक्षकता के समान नहीं है? गौरतलब है कि, उपधारा 2 स्पष्ट रूप से पूर्ण संरक्षकता को समाप्त नहीं करती है। हालांकि, धारा 14 की उपधारा 1 में शामिल स्पष्टीकरण संयुक्त निर्णय लेने के बारे में है, वही धारा, वहीं की वहीं, अभिभावक को विकलांग व्यक्ति से परामर्श करके उसकी ओर से निर्णय लेने का प्रावधान भी करती है; फिर भी, निर्णय संरक्षक का ही है। इसलिए, निर्णय लेने में संयुक्तता के तत्व का आधार कहां है। यह समझने के लिए बहुत ज्यादा सामान्य समझ की आवश्यकता नहीं है कि जब मैं किसी की ओर से कोई निर्णय लेता हूं, तो यह निर्णय मेरे कारण है, हालांकि यह और बात है कि विकलांग व्यक्ति मुझ पर पूरा भरोसा करता है। लेखक का मानना है कि अधिनियम में निर्धारित 'सीमित संरक्षकता' की अपेक्षा 'जरूरत-आधारित संरक्षकता' बेहतर अभिव्यक्ति होती। लेखक की बात साबित हो गयी है क्योंकि संरक्षकता को धारा 14 की उपधारा 1 के तहत समर्थन के रूप में भी मान्यता दी गई है। हमें याद रखना है कि लेखक ने लगातार माना है कि समर्थित निर्णय लेने और प्रतिस्थापित निर्णय लेने के बीच का अंतर गलत है। निर्णय लेने में प्रतिस्थापन समर्थन और गैर-प्रतिस्थापन समर्थन के बीच भेद होना चाहिए। हमें लगता है कि धारा 14 को और बेहतर तरीके से तैयार किया जाना चाहिए था। विधायिका का इरादा सही था कि वह विकलांग व्यक्तियों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना

चाहती है जिन्हें उन्हें अन्यथा भुगतना पड़ता - इसलिए, कुछ अपरिभाषित क्षेत्र हैं।

यह चीजों के लिए अच्छा होगा कि हम इस तथ्य से ध्यान नहीं हटाएं कि इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख से संबंधित राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करने तक नेशनल ट्रस्ट द्वारा गठित स्थानीय स्तर की समितियों को संरक्षक नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बने रहना रोक दिया गया है। तब तक, केवल जिला अदालत अभिभावकों को नियुक्त कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट का कोई भी प्रावधान रद्द नहीं किया गया है। इसलिए, यह मुद्दा अधिक जटिल है।

5. मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों के कार्यों में वृद्धि हुई है; लेकिन उनके अधिकारों में कोई संगत और गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि यह एक और मामला है कि उनका संख्या बल बढ़ गया है क्योंकि मुख्य आयुक्त के पास दो और आयुक्त होंगे और एक ग्यारह सदस्यीय समिति उनकी सहायता करेगी और राज्य आयुक्तों के पास उनकी सहायता के लिए पांच-सदस्य वाली समिति होगी।
6. विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुख्य आयुक्त सहित कम से कम दो आयुक्तों को इस अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के पास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है।
7. मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों की योग्यताओं को लगभग मूल अधिनियम के जस की तस रखने के बजाय, अन्य बातों के साथ-साथ, विकलांगता कानूनों और विकलांगता के अधिकारों का उचित ज्ञान अपरिहार्य रखना चाहिए था। बेशक, कुछ हद इस पहलू का नियमों में ध्यान रखा गया है; लेकिन मैं समझता हूं कि यह जरूरी योग्यता का नहीं बल्कि वांछनीय योग्यता का हिस्सा है। यह कमी अक्षम लोगों की राजनीतिक नियुक्ति के लिए जगह छोड़ देती है।

बौद्धिक/विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य से अधिनियम

इसे संक्षेप में, बौद्धिक/विकासात्मक विकलांगता आदि वाले व्यक्तियों के लिए अर्जित विशिष्ट लाभों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, आदि सहित ठोस लाभ शामिल हैं। इसके अलावा, बौद्धिक/विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता आदि

शेष पृष्ठ 27 पर

उच्च न्यायालय का विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूलों का सुझाव समता कानूनों का उल्लंघन; समावेशी शिक्षा बाधित

यह लेख कंगना आचार्य द्वारा लिखा गया है और [www.firstpost.com](http://www.firstpost.com/india/supreme-court-suggests-separate-schools-for-children-with-disabilities-observation-violates-laws-on-equality-hampers-inclusive-education-4182655.html/) पर दिनांक 29.10.2017 को प्रकाशित किया गया था। स्रोत: <http://www.firstpost.com/india/supreme-court-suggests-separate-schools-for-children-with-disabilities-observation-violates-laws-on-equality-hampers-inclusive-education-4182655.html/> amp



क्या विशेष आवश्यकताओं वाले सभी छात्रों को विशेष विद्यालयों में भर्ती कराना चाहिए? क्या उन्हें अन्य बच्चों जैसे सामान्य स्कूलों में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? विकलांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणी ने बाल अधिकार कार्यकर्ता और शिक्षाविदों के बीच ये प्रश्न उठाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'पहली नजर में हमारा मत है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को न केवल विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए बल्कि उनके लिए विशेष स्कूल होने चाहिए।'

अदालत ने कहा, 'यह सोचना भी असंभव है कि विकलांग या किसी भी तरह की विकलांगता से पीड़ित या मानसिक बीमारी से ग्रस्त बच्चों को शिक्षा पाने के लिए मुख्यधारा के स्कूलों में भर्ती किया जा सकता है।' भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी की कई आलोचनाएं सामने आ रही हैं क्योंकि कार्यकर्ता और शिक्षाविद इसे न केवल प्रभावी और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के सिद्धांतों के विपरीत बल्कि विशेष बच्चों को शिक्षित करने के लिए मौजूदा कानून के विरोधी के रूप में भी देखते हैं।

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े

मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी।

'इंडिया टुडे' के अनुसार, 'वकील प्रशांत शुक्ला के जरिए दाखिल पीआईएल की सुनवाई के बाद, जिसमें विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में पर्याप्त शिक्षकों की कमी का दावा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि उनके लिए अलग स्कूलों की स्थापना क्यों नहीं की जा सकती।' सुप्रीम कोर्ट के वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह दुर्लभ मामलों में से एक है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कानून को गलत दिशा में ले गया है।'

उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी कानून बच्चों की क्षमताओं और विकलांगताओं के अनुसार उनमें भेदभाव नहीं करता है, बल्कि समावेशी शिक्षा और समान अवसरों का आह्वान करता है। उन्होंने कहा, 'विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम वर्तमान शैक्षिक अवसंरचना को इस तरह संवर्धित होने देता है ताकि सभी को समावेशी शिक्षा प्राप्त हो सके, भले ही उनकी क्षमताओं में अंतर क्यों न हो।' उन्होंने बताया कि यह अधिनियम स्कूलों और सरकारों को विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के शिक्षण की सुविधा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य बनाता है। अधिनियम के अध्याय तीन के खंड 16 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, 'उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थान विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें।'

अग्रवाल ने कहा कि अन्य छात्रों के साथ विकलांग बच्चों को शिक्षा देना दोनों विद्यार्थी समूहों के लिए लाभकारी बनाया जा सकता है। इन लाभों की व्याख्या करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन

विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुदेश मुखोपाध्याय ने कहा, 'एक अध्ययन में यह साबित हुआ है कि जब विशेष आवश्यकता वाले छात्र दूसरे बच्चों के साथ एक ही माहौल में अध्ययन करते हैं, तो छात्रों के अन्य समूह को भी लाभ होता है, क्योंकि बहु-संवेदी शिक्षण विधियां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं।' हालांकि, वे एक अनुपूरक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं कि विशेष जरूरतों वाले बच्चे को दूसरे वर्ग के बच्चों को साथ केवल बैठने देने से किसी भी छात्र समूह की मदद नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र सीखने में पीछे रह जाते हैं।

अग्रवाल भी मानते हैं कि खास जरूरतों वाले छात्रों को पढ़ाने के मामले में कई स्कूलों में वातावरण में, क्या होना चाहिए और वास्तव में क्या है, इसके बीच एक खाई है। उन्होंने कहा, 'मैंने विशेष जरूरतों वाले कुछ छात्रों से मुलाकात की है, जिन्होंने खुद इस विचार का समर्थन किया है कि उन्हें विशेष स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि कक्षा में अन्य छात्रों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है।'

विशेषज्ञों ने यह भी शिकायत की है कि कई स्कूल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पर्याप्त माहौल बनाने के प्रयास भी नहीं करते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिकार कार्यकर्ता राधिका अलकाज़ी पूछती हैं, 'कोई स्कूल व्हीलचेयर क्यों नहीं रखती हैं? 'क्यों किसी विद्यालय में सभी के लिए शौचालय सुलभ नहीं हो सकते?'

2016 में भारत सरकार द्वारा भारत में विकलांग लोगों पर किए गए

पृष्ठ 25 का शेष

को स्पष्ट रूप से दूसरों के साथ समान रूप से मान्यता प्रदान की गई है। अत्यधिक सहारे की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्तियों के संबंध में प्रावधानों से भी बौद्धिक/विकासआत्मक विकलांग लोगों को लाभ होगा।

निष्कर्ष

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के प्रावधान लपफाजी और सारहीन बनकर नहीं रह जाएं, यह आवश्यक है कि सरकार,

अध्ययन के अनुसार, 5 से 19 वर्ष आयु वर्ग के विकलांग छात्रों में से 27 प्रतिशत कभी स्कूल नहीं गए, 61 प्रतिशत जा रहे थे और 12 प्रतिशत पहले स्कूल गए थे। 2015 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में कहा गया है कि 9.9 लाख विकलांग लोग स्कूल से बाहर थे।

अग्रवाल ने कहा, 'लेकिन फिर सभी प्रकार के छात्रों के लिए सीखना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी विद्यालय की है।' विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि शैक्षिक संस्थानों को वातावरण में व्यक्तिगत या अन्यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि पूर्ण समावेश के लक्ष्य के अनुरूप शैक्षिक और सामाजिक विकास को हासिल किया जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है, विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाने का मतलब उनको उन लाभों से वंचित करना जिनके वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हकदार हैं। अग्रवाल पूछते हैं, 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, निजी स्कूलों में से 25 प्रतिशत सीटें गरीब और वंचित समूहों के लिए आरक्षित की जानी हैं। यदि विशेष जरूरत वाले सभी बच्चों को विशेष विद्यालय में अध्ययन करना है तो वे इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे?'

अलकाज़ी ने आगे कहा, 'यदि विशेष बच्चों की शिक्षा पर हमारी यह सोच तब है जब राष्ट्र पूर्ण समावेशन की ओर बढ़ रहा है, तो हम इस संघर्ष को खो देंगे।' ■

नागरिक समाज संगठन और विकलांग व्यक्ति मिलकर काम करें ताकि उन्हें जीवन की वास्तविकता में बदला जा सके। आगे की चुनौतियां प्रबल हैं, और रास्ता ऊबड़-खाबड़ है; लेकिन धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ, हमें उन्हें दूर करना चाहिए। सरकार के प्रति नागरिक समाज संगठनों और विकलांग व्यक्तियों का दृष्टिकोण इस उक्ति द्वारा निर्देशित होना चाहिए — जहां सहयोग कर सकते हैं वहां सहयोग करें; जहां विरोध करना है वहां विरोध करें। ■



विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोन: 079-26746145, 26733296 फेक्स: 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइट: www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342014, राजस्थान

फोन: 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

इस बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

दीपा सोनपाल, रमेश पटेल : ईमेल: sie@unnati.org, publication@unnati.org

अनुवाद: आर. के. गुप्ता

मुद्रक: प्रिन्टविज़न, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करवायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।